601
5-1-65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
Vol. XXXIV contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 13—बुधवार 23 सितम्बर 1964/1 आश्विन 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित

प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
347	भारत–पाकिस्तान गृह-मंत्रियों की बैठक	1311—13
348	नन्दा देवी अभियान	1314—15
349	तेनालि सम्मेलन	1315—19
350	सन्थानम समिति	1319—25
351	अमरीकी शिक्षाविदों का दौरा	1325—26
352	प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक	1326—30

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या

353	आर्थिक 'पूल'	1330
354	स्नातकों के लिये राष्ट्रीय सेवा	1331
355	राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन	1331
356	तंजौर कावेरी बेसिन में तेल प्राप्ति की संभावनायें	1331—32
357	सतर्कता निकाय	1332—33
358	कलकत्ता में अनधिकारवासियों की बस्तियां	1333
359	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम	1333—34
360	कचार में पुनर्वास	1334
361	लखनऊ में हुए मुस्लिम सम्मेलन में पारित संकल्प	1335
362	ढासा बांध	1335
363	जांच आयोग	1335—36
364	भूतपूर्व प्रधान मंत्री के नाम में प्रतिज्ञा लेना	1336
365	उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध चुनाव याचिका	1337
366	भूतपूर्व उप वित्त मंत्री द्वारा सम्पत्ति का कथित अर्जन	1337
367	बिहार–उत्तर प्रदेश सीमा विवाद	1338
368	नये विश्वविद्यालयों की स्थापना	1338
369	केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर	1339
370	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल	1339—40
371	सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के मामले	1340
372	सालिसिटर जनरल की हत्या	1340

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No.13—*Wednesday, September 23, 1964/Asvina 1, 1886 (Saka)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
347	Indo-Pak Home Ministers' Meeting	1311—13
348	Nanda Devi Expedition	1314—15
349	Tenali Conference	1315—19
350	Santhanam Committee	1319—25
351	U.S. Educationists' Visit	1325—26
352	Primary School Teachers	1326—30

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
353	Economic Pool	1330
354	National Service for Graduates	1331
355	State Education Ministers' Conference	1331
356	Oil Erospects in Tanjore Cauvery Basin	1331—32
357	Vigilance Bodies	1332—33
358	Squatters' Colonies in Calcutta	1333
359	Hindi Medium in U.P.S.C. Examinations	1333—34
360	Rehabilitation in Cachar	1334
361	Resolutions of Lucknow Muslim Convention	1335
362	Ring Bund at Dhansa	1335
363	Commissions of Enquiry	1335—36
364	Taking Pledge in the name of Former Prime Minister	1336
365	Election Petition Against Orissa Chief Minister	1337
366	Alleged Acquisition of Property by Ex-Deputy Finance Minister	1337
367	Bihar-U.P. Boundary Dispute	1338
368	Setting up of New Universities	1338
369	Central Government Employees' Consumer Cooperative Stores	1339
370	Indian School of International Studies	1339—40
371	Serajuddin and Co. Affairs	1340
372	Murder of Solicitor General	1340

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
1092	उड़ीसा में प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण	1341
1093	दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय	1341
1094	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	1341
1095	विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सा	1341–42
1096	पटुक्कोट्टाई में तेल की खोज	1342
1097	दिल्ली निगम के लेखे	1342–43
1098	ईरान से तेल रियायत	1343
1099	राजस्थान में उर्वरक कारखाने	1343–44
1100	छोटे तेल शोधक कारखाने	1344
1101	नेहरू पुरस्कार	1344–45
1102	अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययन के लिये स्कूल	1345
1103	दिल्ली में नेहरू स्मारक	1345
1104	पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी	1345
1105	पाकिस्तानियों का अनधिकृत प्रवेश	1346
1106	दिल्ली में आग	1346
1107	दिल्ली में गुण्डे	1346–47
1108	माध्यमिक शिक्षा	1347
1109	प्रथम श्रेणी में एम० एस० सी० पास करने वालों को छात्रवृत्तियां	1347
1110	प्रबन्ध प्रशिक्षण	1347–48
1111	हिन्दी के कवि मुक्तिबोध	1348
1112	विश्वायतन योगाश्रम	1348–49
1113	गैर सरकारी प्रविधि संस्थायें	1349
1114	कोचीन का तेलशोधक कारखाना	1349–50
1115	केन्द्रीय रक्षित पुलिस	1350
1116	एक-वर्षीय उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम	1350
1117	ग्रीष्मकालीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कैम्प	1351
1118	बम्बई और पिलानी में नया विश्वविद्यालय	1351
1119	विश्व भारती विश्वविद्यालय	1352
1120	संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र	1352–53
1121	दिल्ली के स्कूलों के लिये पाठ्य पुस्तकें	1353
1122	गैर सरकारी संस्थाओं को शिक्षा अनुदान	1353–54
1123	दमदम हवाई अड्डे पर एक यात्री का लापता हो जाना	1354
1124	साम्प्रदायिक दंगे	1354
1125	कल्याणी में मुद्रण प्रौद्योगिकी संस्था	1355

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1092	Training of Primary Teachers in Orissa	1341
1093	Hindi University in South	1341
1094	National Loan Scholarships Scheme	1341
1095	Medical Treatment of Displaced Persons	1341—24
1096	Oil Exploration at Pattukkottai	1342
1097	Accounts of Delhi Corporation	1342—43
1098	Oil Concessions from Iran	1343
1099	Fertilizer Plants in Rajasthan	1343—44
1100	Small Oil Refineries	1344
1101	Nehru Award	1344—45
1102	School for Study of World Affairs	1345
1103	Nehru Memorial in Delhi	1345
1104	Petroleum Technology	1345
1105	Pakistani Infiltration	1346
1106	Fire in Delhi	1346
1107	Goondas in Delhi	1346—47
1108	Secondary Education	1347
1109	Scholarships to First Class M.Sc.s	1347
1110	Training in Management	1347—48
1111	Hindi Poet Muktibodh	1348
1112	Vishwayatan Yogashram	1348—49
1113	Private Technical Institutes	1349
1114	Cochin Oil Refinery	1349—50
1115	Central Reserve Police	1350
1116	One-year Higher Secondary Course	1350
1117	Summer Engineering Training Camp	1351
1118	New Universities at Bombay and Pilani	1351
1119	Viswa Bharati University	1352
1120	Synthetic Rubber Plant	1352—53
1121	Text Books for Delhi Schools	1353
1122	Educational Grants to Private Institutes	1353—54
1123	Disappearance of a Transit Passenger at Dum Dum Airport	1354
1124	Communal Disturbances	1354
1125	Institute for Printing Technology at Kalyani	1355

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
1126	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली	1355
1127	तोक्यो ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ी	1355–56
1128	उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पीड़ित	1356–57
1129	पनहन गांव में पुरातत्वीय वस्तुओं का मिलना	1357
1130	रामनगर में पुरानी वस्तुओं की खुदाई	1357
1131	शिक्षा के स्तर सम्बन्धी समिति	1357
1132	हायर सेकेन्डरी स्कूल	1358
1133	अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन	1358
1134	केन्द्रीय सहकारी स्टोर योजना का विस्तार	1358–59
1135	अध्यापकों का प्रशिक्षण	1359
1136	पंजाब के पिछड़े वर्गों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	1359–60
1137	पंजाब में बहु-प्रयोजनीय स्कूल	1360
1138	हरिजन कल्याण कार्यालय, दिल्ली	1360
1139	मैसूर के अधिकारियों की वरीयता सूची	1360–61
1140	एमोनियम सल्फेट	1361
1141	दिल्ली के लिये उच्च न्यायालय	1361
1142	बिहार को शिक्षा अनुदान	1361–62
1143	सोडा एश के मूल्य	1362
1144	नई दिल्ली स्थित इंडियन आयल कम्पनी के कार्यालय में अग्नि कांड	1362–63
1145	विज्ञान के अध्यापन के लिये फिल्में	1363
1146	दिल्ली हाकी एसोसिएशन को अनुदान	1363–64
1147	सूरतकल इंजीनियरी कालेज, दक्षिणी कनारा	1364
1148	आपातकाल की घोषणा	1364
1149	तरल पेट्रोलियम गैस के लिये सिलिण्डरों का आयात	1364–65
1150	भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्रियां	1365–66
1151	बरौनी तेलशोधक कारखाना	1366
1152	दिल्ली में पंजाबी का पढ़ाया जाना	1366–67
1153	शारीरिक शिक्षा कालिज	1367
1154	औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'	1367–68
1155	पश्चिम जोन परिषद् की बैठक	1368
1156	अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थान	1368
1157	संयुक्त अरब गणराज्य के साथ वैज्ञानिक सहयोग	1368–69
1158	यूनेस्को का अन्तर्राष्ट्रीय युवक सम्मेलन	1369
1159	"भूकम्प इंजीनियरिंग स्कूल"	1369
1160	विशेष पुलिस स्थापना	1370
1161	उर्वरकों का आयात	1370

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1126	Hindustan Insecticides Ltd., Delhi	1355
1127	Indian Contingent to Tokyo Olympics	1355—56
1128	Political sufferers of U.P.	1356—57
1129	Archaeological Find at Panhan Village	1357
1130	Archaeological Excavations at Ram Nagar	1357
1131	Standard Committee on Education	1357
1132	Higher Secondary Schools	1358
1133	All India Education Conference	1358
1134	Extension of Central Cooperative Stores Scheme	1358—59
1135	Teachers' Training	1359
1136	Post-Matric Scholarships to Punjab Backward Classes	1359—60
1137	Multi-purpose Schools in Punjab	1360
1138	Harijan Welfare Office, Delhi	1360
1139	Seniority Lists of Mysore Officers	1360—61
1140	Ammonium Sulphate	1361
1141	High Court for Delhi	1361
1142	Educational Grants to Bihar	1361—62
1143	Prices of Soda Ash	1362
1144	Fire in I.O.C. Office, New Delhi	1362—63
1145	Films for Science Teaching	1363
1146	Grant to Delhi Hockey Association	1363—64
1147	Suratkal Engineering College, South Kanara	1364
1148	Proclamation of Emergency	1364
1149	Import of Cylinders for liquid petroleum gas	1364—65
1150	Degrees of Indian Universities	1365—66
1151	Barauni Refinery	1366
1152	Teaching of Punjabi in Delhi	1366—67
1153	Physical Education Colleges	1367
1154	Industrial Management Pool	1367—68
1155	Western Zonal Council Meeting	1368
1156	Reservation for Scheduled Castes	1368
1157	Scientific Collaboration with U.A.R.	1368—69
1158	UNESCO's International Conference on Youth	1369
1159	"School of Earthquake Engineering"	1369
1160	Special Police Establishment	1370
1161	Import of Fertilizers	1370

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
1162	दिल्ली के कालिजों में दाखला	1370–71
1163	नाइट्रो फॉस्फेट	1371
1164	विदेशी मिशन	1371
1165	अगरताला बार का ज्ञापन	1371–72
1166	दिल्ली में पुलिस की गश्त	1372
1167	भारतीय आर्थिक सेवा	1372–73
1168	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	1373

विशेषाधिकार के प्रस्तावों के बारे में . . . 1373—76

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मध्य प्रदेश के शरणार्थी कैम्पों में बच्चों की मृत्यु . . 1376—79
श्री हेम बरुआ 1376
श्री त्यागी . . . . . 1376—79

सभा पटल पर रखे गये पत्र 1379–80

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन 1380

विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1964—पुरःस्थापित . . 1380

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में संकल्प 1381—94
श्री खाडिलकर 3381–82
श्री रंगा . 1183—85
श्री केप्पन . . . 1385
श्री नाथ पाई 1385–86
श्री काशी राम गुप्त 1386–87
श्री कोया 1387–88
श्री प० गो० मेनन 1388–89
श्री इम्बीचिबावा 1390–91
श्री नटराज पिल्ले 1391
श्री हनुमन्तैया 1391–92
डा० राम मनोहर लोहिया . . 1392–93
श्री हाथी 1393–94

केरल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक . 1394–95
विचार करने का प्रस्ताव 1394
श्री हाथी . 1394–95
श्री रंगा . . . 1395

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1162	Admission in Delhi Colleges	1370—71
1163	Nitro-phosphate	1371
1164	Foreign Missions	1371
1165	Memorandum of Agartala Bar	1371—72
1166	Police Patrols in Delhi	1372
1167	Indian Economic Service	1372—73
1168	Oil and Natural Gas Commission	1373
	Re : Motions of Privilege	1373—76
	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
	Death of children in refugee camps in Madhya Pradesh	1376—79
	Shri Hem Barua	1376
	Shri Tyagi	1376—79
	Papers laid on the Table	1379—80
	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
	Forty-eigth Report	1380
	Appropriation (No. 5) Bill, 1964—introduced	1380
	Resolution re: Proclamation in regard to Kerala—adopted	1380—94
	Shri Khadilkar	1381—82
	Shri Ranga	1382—85
	Shri Kappen	1385
	Shri Nath Pai	1385—86
	Shri Kashi Ram Gupta	1386—87
	Shri Koya	1387—88
	Shri P. G. Menon	1388—89
	Shri Imbichibava	1390—91
	Shri Nataraja Paillai	1391
	Shri Hanumanthaiya	1391—92
	Dr. Ram Manohar Lohia	1392—93
	Shri Hathi	1393—94
	Kerala State Leg slature (Delegation of Powers) Bill	1394—95
	Motion to consider	1394
	Shri Hathi	1394—95
	Shri Ranga	1395

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 23 सितम्बर, 1964/1 आश्विन, 1886 (शक)

Wednesday, September 23, 1964/Asvina 1, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत–पाकिस्तान गृह-मंत्रियों की बैठक

\+

*347. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पैं० वैंकटासुब्बया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री स्वैल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रियों की दूसरी बैठक के बारे में भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह बैठक किस स्थान पर और किस तारीख को होगी तथा उसकी कार्यावलि की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) और (ख). भरत और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों की दूसरी बैठक करने के प्रश्न पर आजकल राजनयिक माध्यमों द्वारा बातचीत चल रही है। उसकी तारीख और स्थान अभी तक निश्चित नहीं हुए हैं। इस बातचीत में पिछली बार हुई बातचीत को उससे आगे दुबारा शुरू किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गृह मंत्रियों की पहली बैठक में कोई लाभपूर्ण फल नहीं निकला और इस बैठक में अनेक विषय उठाये गये जिन पर कोई निर्णय नहीं किया जा सका, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पिछले कुछ महीनों की अन्तरिम अवधि में दोनों सरकारों ने इन मामलों को समाप्त करने की ओर कुछ ठोस काम किया है ताकि दूसरी बैठक सफल हो।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : दूसरी बैठक बुलाने के बारे में गृह मंत्रियों की पहली बैठक में ही निर्णय कर लिया गया था। यह कहना ठीक नहीं है कि हम कई मामलों पर सहमत नहीं हो पाये हैं। यह वार्ता लाभप्रद रही। कुछ मतभेद अवश्य थे और मैं नहीं कह सकता कि इस बारे में स्थिति क्या रहेगी।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जनता के दिमाग में यह धारणा बनती जा रही है कि दूसरी बैठक बुलाने में जो विलम्ब हो रहा है वह पाकिस्तान के गृह मंत्री की अस्वस्थता का कारण नहीं है बल्कि पाकिस्तान सरकार इस बैठक की लाभप्रदता के बारे में पुनर्विचार कर रही है। क्या इन आशंकाओं का कोई आधार है ?

श्री नन्दा : जी, नहीं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जब गृह मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ था तो हमने यह आश्वासन दिया था कि इन दोनों देशों के सम्बन्ध अच्छे होंगे। इसके बावजूद पाकिस्तानी समाचारपत्र और विदेश मंत्री भारत के विरुद्ध घृणात्मक और गन्दा प्रचार करने में लगे हैं। यदि ऐसा है तो क्या हमारे गृह मंत्री ने उस सरकार के गृह मंत्री को लिख दिया है कि यदि दूसरा गृह मंत्री सम्मेलन बुलाना ही है तो समझौतापूर्ण और मधुर सम्बन्ध बनाये रखे जायें ?

श्री नन्दा : यह प्रश्न इन प्रश्न की बड़ी गहराई में चला गया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : शायद प्रश्न का दूसरा भाग इससे सम्बन्धित है कि क्या पाकिस्तान सरकार को कोई पत्र लिखा गया है कि इस सम्मेलन में कुछ निर्णय करने के लिये ऐसी बातें नहीं की जानी चाहियें।

श्री नन्दा : जहां तक गृह मंत्रालय का सम्बन्ध है, मंत्रियों के बीच पत्र-व्यवहार मधुर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh: Has it come to the notice of the Government that the talks with Sardar Swaran Singh failed five times earlier and the Pakistani President Ayub Khan and the Pakistani Foreign Minister have already said that unless they got Kashmir, there could not be any settlement ? In these circumstances what is the object of having this conference of Home Ministers ?

Shri Nanda : This decision has been taken keeping in view all these developments.

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार किन परिस्थितियों में भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ करने वालों को वापस भेजने के प्रश्न को गृह-मंत्री सम्मेलन की कार्य-सूची में शामिल करने को सहमत हुई है और इससे प्रत्यावर्तन की गति धीमी हुयी है अथवा इससे आसाम से पाकिस्तानियों के प्रत्यावर्तन का काम लगभग रुक सा गया है ?

श्री नन्दा : हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते ।

Shri Onkar Lal Berwa: Is it a fact that after the last meeting of Sardar Swaran Singh with the Home Minister of Pakistan, Pakistan has increased incidents on the border ?

Mr. Speaker : How is it related to the question ?

Shri Onkar Lal Berwa : They have increased the number of border violations since the last meeting.

Mr. Speaker : This question does not relate to border violations.

श्री बाजी : क्या बातचीत की कार्य-सूची में पाकिस्तान में किया जाने वाला सतत भारत-विरोधी प्रचार भी शामिल है ?

श्री नन्दा : क्योंकि कार्य-सूची में साम्प्रदायिक शान्ति एक प्रमुख विषय है, इससे सम्बन्धित बातें अवश्य उठेंगी ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इरादा यह है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होने से पूर्व सीमाओं पर युद्ध विराम होना चाहिये ?

श्री नन्दा : इस पर अलग से बातचीत की जा रही है ।

Shri Ram Sewak Yadav : The Government of India have given their definite opinion about Kashmir and the Pakistan Government also considers the question of Kashmir as a main issue ; I want to know the other suggestions with the Government of India on which the negotiations would take place ?

Shri Nanda : In view of the fact that both the countries liked communal harmony, this thing can be discussed.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि लाहौर में उर्दू भाषा समाचारपत्र सिक्खवाद, सिख लोगों और उनके इतिहास के विरुद्ध घृणात्मक प्रचार करने की एक योजना बना रहा है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस बैठक में यह प्रश्न भी उठायेगी ?

श्री नन्दा : साम्प्रदायिक शान्ति के कार्यक्रम में यह बात भी आती है ।

श्री लोलाधर कटकी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गृह मंत्रियों के अगले सम्मेलन में उन्हीं विषयों पर विचार किया जायेगा जिन पर पिछली बैठक में विचार किया गया था और यदि इसमें कोई नये विषय शामिल किये जा रहे हैं तो क्या कार्य-सूची की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

श्री नन्दा : किसी नये विषय के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है ।

नन्दा देवी अभियान

+

*348. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठ सदस्यों का एक अभियान दल नन्दा देवी की चोटी पर पहुंच गया था ;

(ख) यदि हां, तो अभियान दल के कितने सदस्य चोटी पर पहुंचे ;

(ग) क्या उस अभियान दल में विदेशों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि अभियान दल ने भारत में तैयार किये गये सामान का प्रयोग किया था ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) एक सदस्य और एक शेरपा शिखर पर पहुंचे थे । -

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ; 8 जोडी रेनडीअर जूते, 2 तम्बू और 2 सेट आक्सीजन उपस्कर के अलावा ।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या ऐसे दलों को अभियान से पूर्व या अभियान के बाद कोई प्रोत्साहन दिया जाता है ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां । पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है । यह प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि हमारे दल ने इतना अच्छा कार्य कर दिखाया है । इस पर हमें बड़ा गर्व है । इस दल में सभी भारतीय हैं और उन्होंने बड़ा कमाल किया है ।

श्री हिम्मतसिंहका : उनको क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

श्री मु० क० चागला : दार्जीलिंग में एक पर्वतारोहण संस्था है । इसका एक भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान है जहां लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है । इस संस्था को धन हम देते हैं । यह अधिकांश इसी भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान का इतना अच्छा काम है कि लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने और ऐसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने में प्रशिक्षित किया गया है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस दल के व्यक्ति सेना के हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सैनिकों को पर्वतारोहण और लम्बी पद यात्रा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कोई प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि विशेष रूप से सैनिक अफसरों के लिये यह सर्वोत्तम व्यायाम है ?

श्री मु० क० चागला : इस अभियान दल में सेना और वायु सेना के व्यक्ति हैं . . . .

श्री श्यामलाल सर्राफ : ये अधिकांश प्रतिरक्षा सेवाओं के हैं ।

श्री मु० क० चागला : जी, हां; अधिकांश प्रतिरक्षा सेवाओं के ।

श्री मजीठिया : क्या भारत में बनाये जा रहे उपकरण का मूल्य बाहर से खरीदे जा रहे वैसे ही उपकरण के मूल्य से कम हैं ?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । लेकिन मुझे विश्वास है कि आयात करने की अपेक्षा यहां पर उत्पादन करना सस्ता बैठता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस अभियान में किसी महिला को भी शामिल किया गया है और पर्वतारोहण में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे महिला-पुरुषों की समानता में विश्वास है और मुझे आशा है कि एक दिन आयेगा जब कि कोई महिला माउन्ट एवेरस्ट पर चढ़ेगी ।

श्री बूटा सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि व्यक्तियों का चयन किस आधार पर किया जाता है और क्या इस धारणा में कोई सत्यता है कि सिखों को इन दलों में शामिल होने के लिये निरुत्साहित किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख नहीं होना चाहिये । वह यह जानना चाहते हैं कि चयन किस आधार पर किया जाता है ।

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि उनका चयन उनके ज्ञान, अनुभव, सहन-शक्ति और प्रशिक्षण के आधार पर किया जाता है । इसका कोई मामूली या पहले से निर्धारित आधार नहीं होता है ।

श्री कपूर सिंह : मंत्री महोदय यह कह कर कि इसमें सिखों को शामिल होने के लिये निरुत्साहित करने का कोई प्रश्न नहीं है, बात साफ़ कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न पूछा गया है जिसकी मैंने अनुमति नहीं दी कि क्या सिखों को इसमें शामिल होने से निरुत्साहित किया जाता है ।

श्री मु० क० चागला: यह कोई साम्प्रदायिक संस्था नहीं है । हम सभी सम्प्रदायों, सभी वर्गों और सभी जातियों को प्रोत्साहन देते हैं ।

Shri Y.S. Chaudhary : Keeping in view the success in conquering the Nanda Devi Peak, may I know whether some Indian team is going to conquer some other Peak during the ensuing season ?

श्री मु० क० चागला : वर्ष 1965 में हम माउन्ट एवेरस्ट पर चढ़ेंगे ।

तेनालि सम्मेलन

+

श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :

*349. श्री हेमराज :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत के साम्यवादी दल के वाम पक्षियों के जुलाई, 1964 में हुए तेनालि सम्मेलन में पारित कुछ संकल्प राष्ट्र-विरोधी हैं ;

(ख) क्या उस सम्मेलन में माओ-त्से-तुंग का चित्र प्रदर्शित किया गया था ; और

(ग) क्या इस मामले में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को ज्ञात है कि उन संकल्पों से एक भारत के साम्यवादी दल के एक भाग द्वारा भारत-चीन सीमा विवाद पर लिये गये पक्ष को, जो सर्व विदित है, दोहराता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं कर रही है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस सम्मेलन में क्या भारत और चीन को समान बताते हुए और चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण को बहाना कह कर कुछ राष्ट्र-विरोधी भाषण किये गये हैं ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी ?

श्री हाथी : उनकी हमेशा यह प्रवृत्ति रही है और वे ऐसा करते हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इस सम्मेलन में माओ-त्से-तुंग का कोई चित्र प्रदर्शित किया गया था और इससे लोगों में क्षोभ और घृणा फैली और साम्यवादी दल के वाम पक्षियों और दक्षिणपक्षियों--इन दो वर्गों में कटुता पैदा हो गयी जिससे विजयवाडा में सामूहिक रूप से मकान जलाये गये ? क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है ?

श्री हाथी : जी, हां ; भारी जनता में यह क्षोभ व्याप्त है ।

Shri M. L. Dwivedi: Government are arresting persons agitating for food crisis under the D.I.R. but how is it that the people who display the portrait of our enemy Mao-tse-tung and express their attachment with him and his country, are not treated as criminals by the Government ?

Shri Hathi : Only those persons are arrested whose activities are anti-national or anti-social.

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय ने बताया है कि यह सच है लोगों में क्षोभ है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस पर सरकार को भी क्षोभ है या यह हमेशा की तरह इस प्रकार की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और लोगों की भावना से आंख मूंदे हुए है ?

श्री हाथी : जी, नहीं ; हमें भी क्षोभ है ।

श्री सोलंकी : क्या यह सच है कि इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया कि हमें कोलम्बो प्रस्तावों को छोड़ कर चीन से सीधे बात करना चाहिये ? यदि हां, तो क्या यह बात आपत्ति-जनक नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : तर्क करने की बजाय जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछ जाने चाहियें ।

श्री हाथी : जी, हां ; अपने संकल्प में उन्होंने इसका उल्लेख किया है । जैसा मैंने बताया वे ऐसे संकल्पों, ऐसी बातों और एसी गतिविधियों में लगे हैं और जहां कहीं सरकार आवश्यक समझती है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

श्री बटा सिंह : भारतीय साम्यवादी दल के इस वर्ग की देश की सुरक्षा के लिये खतरनाक गतिविधियों को देखते हुए क्या सरकार उनकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाथी : हम किसी दल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते हैं किन्तु हम प्रत्येक आपत्तिजनक कार्य के लिये उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं ।

Shri Bade : The hon. Minister has said that they take action against those persons who indulge in anti-national and anti-social activities. May I know whether passing of resolution supporting our enemy country, China and displaying the photo of Mao-tse-tung at the conference are not anti-social activities and why have the Government not taken action against these people.

Shri Hathi : They displayed the photo of Mao-tse-tung in their private conference. The Government has not taken action against them.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने यूनाइटेड किंगडम प्रिवी कौंसिलरों के वर्ष 1955 के प्रति-वदन का अध्ययन किया है जिसमें कहा गया है कि साम्यवादी विचारधारा से मनुष्य की अपने देश के प्रति वफादारी की उपेक्षा होती है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार इस बात से सहमत होती है ?

श्री हाथी : मैंने उसे नहीं देखा है ।

अध्यक्ष महोदय : उनकी विचारधारा की वफादारी से उनकी देशभक्ति की उपेक्षा होती है .....

श्री हाथी : निस्संदेह हमें विश्वास है कि उनकी वफादारी कहीं और रहती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In view of the present state of emergency in the country, Defence of India Rules and our enemy China, may I

know whether Government propose to ban the propaganda by the Communist Leaders in support of China ?

Shri Hathi : The Government have considered this question.

Shri Kashi Ram Gupta : On the one hand the leftist leaders say they are neither with China nor with Russia and on the other hand they displayed the photo of Mao-tse-tung. Keeping all these things in view have the Government faith in them, and if not, why do they not take action against them

Shri Hathi : Government have no faith in them at all.

श्री भागवत झा आजाद : सरकार जब यह दावा करती है कि वह जनता की घृणा तथा अप्रसन्नता में भागीदार है तो वह उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करती है जिन्होंने न केवल एक आक्रामक ही की नहीं अपितु विश्वशान्ति के दुश्मन का चित्र लगाया था। सरकार इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं करती है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में कब हमारी भावनाओं में भागीदार है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : लोग असन्तुष्ट हो सकते हैं किन्तु फिर भी पर्याप्त कारण न होने से हम उनके विरुद्ध विधि न्यायालयों में कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच की गई है। उन्होंने फोटो लगा कर बहुत बुरा किया है। लोगों ने इस मामले में अपना कर्तव्य निभाया है। फिलहाल यह काफी है। क्योंकि असन्तोष के कारण वे जलूस के साथ नहीं ले जा सके। उनका ऐसा करने का विचार था जो वह नहीं कर सके। चित्र को बैठक के अन्दर ही रखा गया ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। चीनी आक्रमण के पश्चात् सरकार ने चीन समर्थकों के विरुद्ध, जिसमें संसद् के साम्यवादी तथा अन्य दलों के सदस्य भी शामिल हैं, उचित कार्यवाही की है। किन्तु अब मंत्री महोदय कहते हैं कि हम आवश्यकता पड़ने पर ही कार्रवाई करते हैं। यह एक अत्यन्त शर्मनाक घटना है कि साम्यवादी दल ने सार्वजनिक रूप से आक्रामक नेता के चित्र की पूजा की है। यह खेद की बात है आपात्काल तथा भारत सुरक्षा नियमों के बावजूद भी सरकार ऐसी घटनाओं के प्रति सजग नहीं है। यदि सरकार दुश्मन की पूजा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसी सरकार का क्या लाभ है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है और क्या नहीं इसका निर्णय करना मेरा काम है ।

श्री हरि विष्णु कामत : एक मामले में कार्रवाई तथा दूसरे मामले में कार्रवाई न करके सरकार नहीं चल सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती है तो ?

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा अनुरोध है कि आप उसे निदेश दें कि वह राष्ट्रीय हित में कार्य करे ।

Shri Sheo Narayan : May I know why the action under D.I.R. is not taken against those persons who have displayed the photo of our enemy who invaded our country and occupied our soil.

Mr. Speaker : The hon . Member is arguing ; he is not asking question.

सन्थानम समिति

+

श्री हरि विष्णु कामत :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री शशिरंजन :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
*350. डा ०लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री कपूर सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री बाल्मीकी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बासप्पा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री प्र० के० देव :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री महानन्द :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स्वैन :
श्री ब० कु० दास :
डा० सरोजिनी महिषी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 27 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्थानम समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) समिति की सिफारिशों पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन पर की हुई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। बाईस सिफारिशें परिवर्तनों के साथ या बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार की गई हैं और कार्यान्वित हो गई हैं ; तेंतीस सिफारिशें परिवर्तनों के साथ या बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार की गई हैं और उन को कार्यान्वित करने पर विचार हो रहा है, और चौहत्तर सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय ने तथा सरकार ने प्रतिवेदन धारा में "सामाजिक वातावरण" शीर्षक के अन्तर्गत की गई सिफारिशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है जिसमें राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया है और राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार दूर करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा एक राष्ट्रीय तालिका नियुक्त करने की ओर निर्देश किया गया है, यदि हां तो इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की जा रही है ? ये बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं ।

श्री हाथी : इन सिफारिशों के बारे में सरकार बहुत दृढ़ है । गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री सभा में बता चुके हैं कि वे किस प्रकार इस मामले में काम करना चाहते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं समझता हूं कि उन्होंने राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में उन्होंने सभा में कुछ बातें कही हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर गया है जिन में कुछ मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने गृह-कार्य मंत्री की योग्यता पर शंका प्रकट की है ? एक मंत्री महोदय ने तो यहां तक कहा है कि भ्रष्टाचार के बारे में चिल्लाते हैं वे स्वयं भ्रष्ट हैं। इस प्रकार उनका यह आक्षेप

गृह-कार्य मंत्री पर है, और यदि हां, तो जनता के मस्तिष्क से यह शंका दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं। भ्रष्टाचार दूर करने जैसे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में भी मंत्रिमंडल में मतभेद है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न में आक्षेप, दोषारोपण तथा मानहानि की बात कही है जिस की अनुपूरक प्रश्न में अनुमति नहीं है । मैंने अनेक बार कहा है कि अनुपूरक प्रश्न में केवल जानकारी मांगी जाये । इस प्रकार की बातों को यथासंभव न पूछा जाये । माननीय सदस्य यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं । प्रश्न को जटिल बनाने के लिये इसमें इतनी अधिक बातें शामिल करना आवश्यक नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपके निर्णय के सम्बन्ध में अनुरोध करता हूं कि मेरा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत सीमित है । आपने कहा है कि मेरे अनुपूरक प्रश्न में व्यंग है । मैंने किसी प्रकार का व्यंग नहीं किया । मेरा प्रश्न सीधा है । मैंने पूछा है कि क्या सरकार का ध्यान प्रकाशित समाचारों की ओर गया है ; यदि मैं यह नहीं पूछता तो मंत्री महोदय उत्तर कैसे दे सकेंगे ? समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से जनता में जो यह शंका पैदा हो गई है कि मंत्रिमंडल में मतभेद हो गया है, उसका सरकार किस प्रकार समाधान करना चाहती है ?

श्री नन्दा : माननीय सदस्य जिन समाचारों का उल्लेख कर रहे हैं उन्हें अन्य कई समाचारों की भांति बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित किया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : ये समाचार गलत तो नहीं हैं ?

श्री नन्दा : वास्तव में यह गलत हैं । जहां तक शोर मचाने का सम्बन्ध है यह उन लोगों के बारे में है जो मंत्रियों के विरुद्ध निराधार शिकायत करते हैं । शोर मचाने वाले स्वयं अपने दोषों पर पर्दा डालना चाहते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा प्रश्न यह है कि सरकार जनता की इस शंका का समाधान किस प्रकार करना चाहती है कि इस मामले में मंत्रिमंडल में मत-भेद है ?

श्री नन्दा : प्रधान मंत्री ने इस बारे में इस सभा में तथा कलकत्ता में बताया है । उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के मामले में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में मंत्रिमंडल में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : May I know the number of representations against the Ministers received from different States and the number of Ministers against whom action has been taken according to Santhanam Committee's report.

श्री हाथी : सन्थानम समिति की सिफारिशों से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri M. L. Dwivedi : Have the vigilance Commission etc. been set up as a result of implementation of the recommendations of the Santhanam Committee or what action has been taken by the Government in full acceptance of the 74 recommendations of the said Committee ?

यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा ?

Mr. Speaker : The hon. Member has clubbed several questions together.

Shri Hathi : The answer to the first question is that the Centre has constituted a vigilance Commission. These have been appointed in the States as well. The recommendations made by the Santhanam Committee can be classified under four or five heads : (1) Government servants' Conduct Rules, (2) Some changes in legislation, (3) changes in the Constitution, (4) changes in the administrative machinery and (5) Social and political climate—question in regard to which had just now been asked. A list of Government conduct rules is under preparation. Laws are being amended. The question of amending the Constitution is under consideration. The question of social and political climate is also under examination of Government.

श्रीमती सावित्री निगम : संतानम समिति की 22 सिफारिशों की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप, प्रशासन में क्या ठोस परिवर्तन हुए हैं ?

Shri Hathi : Some changes have been brought about by now. One of their important recommendations was that there should be provision of public reception and enquiry in the departments having dealings with the public for the facility of the public. In four or five departments this arrangement has been made, namely the office of the Chief Controller of Imports and Exports, Directorate of Supplies and Disposals, Railways, P.W.D. and C.P.W.D.

श्री स० चं० सामन्त : केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के अतिरिक्त क्या राज्य सरकारों के सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया है ?

श्री हाथी : जी हां । राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे गये थे और वे हमें मिल गये हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether some decision has been made, keeping in view the period of two years fixed for rooting out corruption by the Home Minister, to give a practical shape to the various agencies for rooting out corruption like the Santhanam Committee or the Vigilance Commission by co-ordinating their working without any delay so that we may achieve some success towards that end?

Shri Nanda : Adequate steps have been taken and we are feeling their effect. But that is not enough and many other steps are also being contemplated.

Shri Prakash Vir Shastri : My question related to giving practical shape to the various agencies by co-ordinating their working.

Shri Nanda : The Santhanam Committee has touched many aspects. Other steps are also under contemplation. Their collective effect would be the same as the hon. Member has in view.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : संतानम समिति की सिफारिश के अनुसार सतर्कता आयोग नियुक्त किये जा रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि गृह मंत्री के तत्वावधान में नियुक्त की गई सदाचार समितियां क्या कोई अन्य कार्य करेंगी या वे सतर्कता आयोग के काम में हाथ बटायेंगी ?

श्री नन्दा : पिछले कुछ सप्ताह के अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि सदाचार समितियां काफी अच्छा कार्य कर रही हैं । विभिन्न वर्गों के लोगों में सामाजिक जागृति पैदा करने की दिशा में इन समितियों ने सराहनीय कार्य किया है । दूसरे, निराधार शिकायतों के बारे में शिकायत करने वाले व्यक्तियों को समझा दिया जाता है और अन्य शिकायतों की फिर से जांच की जाती है और तब उन्हें गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित विभागों को जांच के लिये भेज दिया जाता है ।

Shri Bade : Whether Vigilance Commissions on the pattern of the Central Vigilance Commission have been appointed in the States, and if so, whether it is a fact that they are sitting idle on account of the absence of any direction from the centre regards their procedure and functions ?

Shri Hathi : Vigilance Commissions have been appointed in some of the States and instructions have been sent from the centre as regards their functioning.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि भ्रष्टाचार के मामले में जहां तक मूलभूत तथा प्रक्रिया सम्बन्धी कानून का प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों तथा राजनीतिज्ञों के साथ दोहरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये ?

श्री हाथी : यह तभी हो सकता है जब विधान में संशोधन किया जाये ।

श्री कपूर सिंह : मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या सरकार इस सिद्धान्त से सहमत है ।

श्री नन्दा : इस बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता है ।

श्री हेम बरुआ : सिराजुद्दीन नाम की फर्म के बही खातों में विजय पटनायक, बीरेन मित्र तथा उड़ीसा के एक अन्य मंत्री के नाम पाये गये हैं । चूंकि संतानम समिति ने राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है, इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नन्दा : सब को पता है कि उस बारे में कदम उठाये गये हैं । केन्द्रीय जांच विभाग (सी० बी० आई०) इन सब मामलों की प्रारम्भिक जांच कर रहा है ।

Shri Bagri : The main remedy to check corruption is putting a ceiling on individual expenditure. May I know whether Government is thinking in this direction and propose to restrict it to not more than one thousand rupees per month ?

Mr. Speaker : This is a suggestion for action. It is not directly connected with the Santhanam Committee Report.

श्री जसवन्त मेहता : संतानम समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि उच्चतम स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये । क्या यह सच है कि सरकार ने इस सिफारिश के बारे में कोई निर्णय किया है और सरकार इस सिफारिश के फलस्वरूप क्या परिवर्तन करने जा रही है ?

श्री नन्दा : मंत्रिमंडल में आचार संहिता के प्रश्न पर विचार किया गया था [जिसके बारे में मैंने अभी हाल में कुछ कहा था ।

श्री शिव नारायण : कुछ चुने हुए सदस्य अपने नाम में प्रश्न भेज देते हैं और उन्हें ही प्रति दिन यहां पर प्रश्न करने का अवसर मिलता रहता है । मेरा निवेदन है कि प्रश्न केवल उसी माननीय सदस्य के नाम में होना चाहिये जिसने प्रश्न की सर्वप्रथम सूचना दी हो ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी अपने नाम में प्रश्न भेज सकते हैं ।

Shri Balmiki : May I know whether Government have prepared any outline for rooting out corruption at the highest level, and if so, the nature thereof ?

Shri Hathi : The outline is given in the report itself.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या यह सच है कि सरकार ने संतानम समिति की राजनीतिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी सिफारिश तथा उसमें सुझाई गई प्रक्रिया को मानने से इन्कार कर दिया है ? मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में, जिनमें मुख्य मंत्री का भी हाथ है, क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

श्री नन्दा : मुख्य मंत्री के विरुद्ध शिकायत का निपटारा करने का भार पूर्ण रूप से प्रधान मंत्री पर है ।

डा० सरोजिनी महिषी : मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार ने संतानम समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन पर कार्यवाही की जा रही है । कुछ अन्य सिफारिशों को केवल स्वीकार ही किया गया है और कुछ पर अभी विचार ही किया जा रहा है । क्या मैं जान सकती हूं कि यह वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है ?

श्री हाथी : वर्गीकरण का कोई प्रश्न नहीं है । कुछ सिफारिशें ऐसी थीं जिन को अविलम्ब स्वीकार किया जा सकता था और उन पर तुरन्त अमल किया जा सकता था । कुछ सिफारिशें ऐसी थीं जिन पर तुरन्त कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, जैसे विधियों में परिवर्तन करना । इसमें कुछ समय लगता है । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी हैं जिन पर अभी विचार किया जा रहा है ।

Shri Sheo Narayan : May I know whether Santhanam Committee in its report have recommended for taking action against persons indulging in false allegations ?

Mr. Speaker : This can be read from the report.

श्री ब० कु० दास : क्या सरकार ने सन्थानम समिति की इस बात पर विचार कर लिया है कि समय के अभाव के कारण समिति सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सरकारी कर्मचारियों के एकीकरण संबंधी सभी वर्तमान समस्याओं की जांच नहीं कर सकी । इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : समिति ने व्यापक रूप से समस्या का अध्ययन किया है । मैं नहीं समझता कि समिति ने ऐसा कहा हो कि समय की कमी के कारण वह समस्या पर विचार नहीं कर सकी । शायद, वह विभिन्न केन्द्रों में जांच करने के लिये नहीं जा सकी हो ।

श्री नाथ पाई : सदाचार समिति का चर्चा जोरों पर है जिसका निर्माण गृह मंत्री ने किया है और वह कभी उस समिति का समर्थन करते हैं और कभी वह और उन के साथी उसका विरोध करते हैं । यह खेद की बात है कि यद्यपि संथानम समिति की मुख्य सिफारिश यह थी कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये सतर्कता आयोग की स्थापना की जाये, फिर भी उसके बारे में कुछ सुनने में नहीं आता । भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई इस वैध प्रशासनिक संस्था के साथ सौतेली मां अथवा सौतेले बाप का बर्ताव क्यों किया जा रहा है ? जनसाधारण को यह बताने के लिये क्या किया जा रहा है कि राष्ट्रीय सतर्कता आयुक्त नाम का एक अधिकारी है जिसके पास भ्रष्टाचार की सभी शिकायतें भेजी जा सकती हैं ? राष्ट्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में शायद ही किसी व्यक्ति को पता होगा ।

श्री नन्दा : जब कोई निकाय दिन प्रति दिन काम करता है और अच्छी तरह से काम करता है, तो इसके बारे में अधिक सुनने में नहीं आता ; जब वह अपना काम अच्छी तरह से नहीं करता केवल तब ही उसके बारे में सुनने में आता है ।

श्री वाजपाई : क्या यह बात सदाचार समिति पर भी लागू होती है ?

श्री नन्दा : इस समिति ने अभी कार्य प्रारम्भ किया है । लोगों को इस समिति के बारे में अब पता लग गया है और अब इसकी इतनी चर्चा नहीं है । सब प्रकार की अफवाहों के बावजूद भी वह अपना काम कर रही है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप के लोगों के विरोध के बावजूद भी ।

श्री नन्दा : प्रश्न का सार यह था कि क्या सन्थानम समिति के प्रतिवेदन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है । अन्य बातों का इस से सम्बन्ध नहीं है । मुख्य बात सन्थानम समिति का प्रतिवेदन है और उस पर उचित ध्यान दिया जा रहा है ।

अमरीकी शिक्षाविदों का दौरा

+

*351. { **श्री विशनचन्द्र सेठ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी शिक्षाविद शीघ्र ही भारत का दौरा करने वाले हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत से स्कूल-अध्यापकों और प्रशासकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अमरीका का दौरा किया था ;

(ग) इस प्रकार के प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा दोनों देशों का दौरा करने से भारत को शिक्षा के क्षेत्र में कहां तक सहायता मिली ; और

(घ) क्या भविष्य में भी इस प्रकार के दौरों का क्रम जारी रहेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कोई अमरीकी शिक्षा विशेषज्ञ शीघ्र ही भारत का दौरा करने वाले नहीं हैं, किन्तु हाई स्कूल और कालेज विज्ञान अध्यापकों के लिए ग्रीष्म संस्थान कार्यक्रमों के अन्तर्गत हाल ही में 52 अमरीकी शिक्षा विशेषज्ञों ने भारत का दौरा किया ।

(ख) इन्हीं गर्मियों में अमरीका में हुए ग्रीष्म संस्थान कार्यक्रम में आठ भारतीय शिक्षा विशेषज्ञों और प्रशासकों ने भाग लिया ।

(ग) ऐसा ख्याल है कि ग्रीष्म संस्थानों के शैक्षिक कार्यक्रमों में इनसे महत्वपूर्ण योग मिला है ।

(घ) भविष्य में इन्हें जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Shri Bishan Chander Seth : What benefit, if any, accrue to our count ry from this ?

श्री मु० क० चागला : मुझे विश्वास है कि अमरीकी शिक्षाविदों के दौरे से हमारे देश हमारी शिक्षा और हमारी विद्या संबंधी संस्थाओं को काफी फायदा पहुंचेगा । विशेषत: विज्ञान में हमारे कालिज और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये हम ने ग्रीष्म स्कूलों की एक नई चीज़ चालू की है और इन स्कूलों को चलाने में सहायता देने के लिये हमारे पास अमरीकी विशेषज्ञ हैं । मैं अपने मित्र को विश्वास दिलाता हूं कि इससे हमें बहुत फायदा पहुंचने की आशा है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस दौरे के दौरान हमारे विशेषज्ञों ने शिक्षा के सभी स्तरों पर उसकी अवधि, पढ़ाने के तरीके और पुस्तकों, पाठ्यक्रमों आदि के बारे में उन से चर्चा की ताकि इसको समस्त देश में एकसमान बनाया जाये क्योंकि इन विषयों पर हमारे देश के विशेषज्ञों में मतभेद है ?

श्री मु० क० चागला : इन शिक्षाविदों का दौरा केवल ग्रीष्म स्कूलों और गोष्ठियों के संबंध में था । हमारे लोग भी इसे सीखने के लिये अमरीका गये थे । परन्तु, यदि मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहते हैं कि क्या शिक्षा की सामान्य प्रणाली पर चर्चा की गई थी, तो इसके लिये मेरा उत्तर है "चर्चा नहीं की गई थी" ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह देखते हुए कि इस प्रकार के शिविर बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं, विदेशों से शिक्षाविदों के आने को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री मु० क० चागला : आरम्भ में हम अमरीका के शिक्षाविदों को बुला रहे हैं । हम इस प्रश्न पर निश्चय ही विचार करेंगे कि क्या अन्य देशों से भी शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री प्रकाश वीर शास्त्री ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, I request that question No. 372 be taken up as it is a very important question.

Mr. Speaker : The hon. Member knows that I cannot disturb the order of questions. Shri Prakash Vir Shastri :

Primary School Teachers

\+

*352. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri S.M. Banerjee :
Shri Maniyangadan :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri K. N. Tiwari :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shrimati Ramdulari Sinha :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 36 on the 12th February, 1964 and state :

(a) whether any reference has been made to those State Governments

which have not so far revised the pay scales of the primary school teachers ; and

(b) if so, the result achieved so far ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) Yes, Sir. A communication was sent to the Chief Ministers of all States in March, 1964 pointing out the need to improve the emoluments and service conditions of teachers and drawing attention to central assistance available for this Scheme.

(b) The decision to revise pay scales rests with the State Governments concerned.

Shri Prakash Vir Shastri : According to the Education Minister's statement he had written to the five States for upgrading pay scales of Primary School teachers. May I know the names of these five states and their reaction in this regard ?

श्री मु० क० चागला : 21 मार्च, 1964 को मैं ने सारे मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था जिसमें शिक्षकों की सेवा की शर्तों और उपलब्धियों और सरकारी स्कूलों और गैर-सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बीच असमानता के सम्बन्ध में स्थिति के पुनर्विलोकन का महत्व बताया गया था मुझे केवल बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से उत्तर प्राप्त हुए हैं। यदि मेरे माननीय मित्र चाहें तो मैं संक्षिप्त रूप से उत्तर पढ़ सकता हूं और यदि आप चाहें तो मैं एक विवरण सभा पटल पर रख सकता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri : In reply to a question in the last Session the hon. Minister had said that in U.P. the pay scales are the lowest in the country. Have the Education Ministry written something in this regard to U.P. Government also, if so, the reaction of U.P. Government thereto ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैं बता चुका हूं मैं ने प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री को लिखा था। केवल 5 राज्यों ने उत्तर दिये हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। वेतन मान का पुनरीक्षण दूसरी योजना में किया गया था। तीसरी योजना में थोड़ा सुधार हुआ है। समान वेतन पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में लगभग 15–20 रु० का अन्तर है। अतः यह स्थिति वैसी ही है जैसी कि बिहार में है। वित्तीय कारणों की वजह से राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समानता नहीं ला सकी है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Apart from the fact that the pay of a primary school teacher is very meagre, he is posted at a pretty long distance from his native place. This tells heavily upon their purse and they find it difficult to make both ends meet. Are Government prepared to issue instructions to the State Governments for appointing primary teachers in their own native place or in their neighbouring area ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षकों के तबादले का प्रश्न एक महत्वपूर्ण समस्या है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। परन्तु यह काफी कठिन है। इसका कारण या तो शिक्षक की अयोग्यता है या फिर यों कहिये कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते यह कायदा है कि उसका तबादला कहीं भी किया जा सकता है।

Shri K. N. Tiwary : Minister says that Report from Bihar has been received, but according to press news increase in pay scales has not been

effected so far and the teachers in Bihar are about to go on strike. Will the Government throw light upon it.

श्री मु० क० चागला : मेरी जानकारी यह है कि उन्होंने हड़ताल की धमकी दी है, परन्तु आश्वासन देने के बाद हड़ताल तर्क कर दी गई है।

Shri Onkar Lal Berwa : Similar shcools are being run by the Central Govternmen, State Governments and village Panchayats. Are efforts being made to introduce uniform pay scales in them.

श्री मु० क० चागला : हम समानता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कोई आसान काम नहीं है, परन्तु यह हमारी कोशिश है, हमारा उद्देश्य है और हमारा लक्ष्य है।

Shri Yashpal Singh : Are Government aware that the Primary School teachers are working under the Zila Parishads throughout the Country? Zila Parishads have done nothing to review the position for effecting sudden change in their pay scales and these teachers have to please three masters. May I know whether measures are being taken for deciding the question of their promotion at one place ?

श्री मु० क० चागला : मेरा उत्तर वही है। कठिनाई यह है कि राज्यों के पास पैसा नहीं है। मैं इस मामले में जो कुछ कर सकता था किया है। मैं ने प्रत्येक मुख्य मंत्री और प्रत्येक शिक्षा मंत्री को इस बारे में अच्छी तरह कहा है, परन्तु उनका वही जवाब है कि "केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत खर्चा देने को तैयार है, परन्तु हमारे पास दूसरा 50 प्रतिशत भाग नहीं है; इसलिये हम ऐसा नहीं कर सकते"।

Shrimati Jamuna Devi : May I know the decision taken by Madhya Pradesh Government for increasing the pay scales of the Primary school teachers ?

श्री मु० क० चागला : मध्य प्रदेश के बारे में स्थिति इस प्रकार है। जहां तक वेतन मानों में वृद्धि करने का प्रश्न है राज्य सरकार ने शिक्षा योजना के पैसे में से 9 करोड़ रुपये लेकर गैर सरकारी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन-क्रमों में वृद्धि कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से मुझे यही उत्तर प्राप्त हुआ है, अर्थात्, उन्होंने वेतन-क्रमों में वृद्धि कर दी है, इस पर उनका 9 करोड़ रुपया खर्च आया है, और वेतन-मानों में और अधिक सुधार करने के लिये उनके पास कोई पैसा नहीं है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : विभिन्न राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अधिकतम और निम्नतम वेतन-मान क्या हैं ?

श्री मु० क० चागला : हर राज्य में अलग अलग हैं। आन्ध्र में 80–150 रु०; आसाम में 55–75 रु०; बिहार में 50–90 रु०; गुजरात में 56–70 रु०; जम्मू तथा काश्मीर में 70–160 रु०; केरल में 40–120 रु०; मध्य प्रदेश में 90–170 रु०; मद्रास में 90–140 रु०; महाराष्ट्र में 56–70 रु०; मैसूर में 80–150 रु०; उड़ीसा में 100–155 रु०; पंजाब में 120–175 रु० जो शायद सब से अच्छा है; राजस्थान में 75–160 रु० और उत्तर प्रदेश में 50–65 रु० जो सब से कम है; और पश्चिम बंगाल में 80–150 रु० है।

Shri Rameswaranand : What accounts for the difference in pay scales of English and Sanskrit teachers teaching the same class ?

श्री मु० क० चागला : मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिये सदैव तैयार हूं, परन्तु मैं नहीं समझता कि मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध है। इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री जसवन्त मेहता : माननीय मंत्री ने कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन-मान हैं। मुख्य मंत्रियों को अपने पत्र में क्या उन्होंने किसी सामान्य वेतन मान का सुझाव दिया है ? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि चौथी योजना में देश भर में प्राथमिक शिक्षकों को समान वेतन मान दिया जाये ?

श्री मु० क० चागला : मैं पहले ही बता चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार शिक्षकों के वेतन में की जाने वाली वृद्धि का 50 प्रतिशत सहायता के तौर पर देने के लिए तैयार है। जहां तक वेतन का एकसा स्तर निर्धारित करने का प्रश्न है, वैसा करना बहुत कठिन है। जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक राज्य की स्थिति भिन्न भिन्न है। पंजाब में वह 120 से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश में 50 रुपये से . . .

श्री त्यागी : नाम से नहीं।

Shri Ram Sevak Yadav : The hon. Minister has stated that the Centre has decided to pay to the extent of 50 p. c. in order to ameliorate the condition of teachers but the States do not have additional fifty per cent and therefore they are not undertaking the Scheme. I would like to know whether the Ministry of Education is ready to pay the 50 p. c. amount to State Governments at the earliest so that there might be some improvement in the condition of teachers.

श्री मु० क० चागला : हम नहीं दे सकते क्योंकि योजना यह है कि 'यदि आप वेतन बढ़ाते हैं तो हमें बताइये कि उसमें कितनी लागत लगेगी; हम उसका आधा खर्च देंगे'। मैं यह नहीं समझ पाता कि जब वह कोई अंशदान देने के लिये तैयार नहीं हैं तो हम कुछ हिस्सा कैसे दे सकते हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad : I would like to know which of the Sates have accepted in principle or in action or both when the Centre has emphasised the fact that the pay scales of primary teachers should be increased and the States have been directed to increase their pay scales and whether any increase has been effected as a consequence thereof ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि मैंने उसका उत्तर दे दिया है। सभी मुख्य मंत्रियों के नाम अपने पत्र के उत्तर में मुझे केवल चार राज्यों से पत्र प्राप्त हुए। बाकी राज्यों से कोई उत्तर नहीं मिला। अनेक राज्यों के वेतन मान पहले से ही ऊंचे हैं और इसलिए शायद उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा।

Shri K. D. Malaviya : When Government is aware that in spite of correspondence and conferences pay scales of teachers in States like Uttar Pradesh are not being increased, is the Government ready to adopt any other method so as to solve this urgent problem. ?

Shri M. C. Chagla : I shall be obliged to my friend if he tells me the matter to be adopted.

श्री के० दे० मालवीय : आप आयोजन को संकेत दीजिये।

श्रीमती रेणुका राय : इस बात को देखते हुए कि कुछ राज्य न्यूनतम समझा जाने वाला वेतन भी नहीं दे रहे हैं, क्या सरकार इस पर विचार न करेगी कि जो राज्य कम से कम 90 रुपये

नहीं देते उन्हें कोई भी शैक्षणिक अनुदान चाहे वह उच्चतर, माध्यमिक या अन्य किसी प्रकार की शिक्षा के लिए हो, नहीं दिया जायगा क्योंकि मजदूरों को 90 रु० महीना मिलता है ?

श्री मु० क० चागला : चौथी योजना में हम शिक्षा विषयक वित्त की संपूर्ण पद्धति ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हम अनुरूप अनुदानों के प्रश्न पर विचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिए मैं इसे याद रखूंगा ।

श्री शिवनारायण : माननीय मंत्री ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सब से खराब राज्य है । उसे देखते हुए वह अब क्या करने जा रहे हैं ?

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : माननीय मंत्री के अपने राज्य में असफलता के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री मु० क० चागला : महाराष्ट्र इतना खराब नहीं है । वह काफी खराब है । वह 56 रुपये से 70 रुपये है । मैं मानता हूं कि यह बहुत अच्छा नहीं है लेकिन मंहगाई भत्ता ज्यादा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आर्थिक 'पूल'

*353. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 130 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न प्रबन्ध-पदों पर भर्ती करने के उद्देश्य से एक आर्थिक 'पूल' बनाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) इस 'पूल' के लिये चयन तथा भर्ती को किस प्रकार नियमित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). मामला अभी भी विचाराधीन है ।

स्नातकों के लिये राष्ट्रीय सेवा

*354. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बड़े :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में कोई ऐसा विधान बनाने का विचार है जिसके अन्तर्गत समस्त नव स्नातकों के लिये चार वर्ष तक "राष्ट्रीय सेवा" करना अनिवार्य होगा; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा वह सेवा किस प्रकार की होगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

*355 श्री विश्राम प्रसाद :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री 27 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 1964 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3215/64]

तंजौर कावेरी बेसिन में तेल प्राप्ति की संभावनायें

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

*356. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री वै० ना० कुरील :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामपुरे :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री येनगौण्डर :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जांच पड़ताल से यह पता चला है कि कराइकल तथा तंजौर कावेरी बेसिन सहित समुद्र तटीय क्षेत्रों में तेल पाये जाने की काफी सम्भावनायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां अनुमानतः कितना भण्डार पाये जाने की आशा है ; और

(ग) तेल भण्डार की वास्तविक मात्रा तथा उसकी प्राप्ति पर होने वाले व्यय का सही अनुमान लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जांच पड़ताल से पता चला है कि तेल की खोज का निर्धारण करने के लिये इस क्षेत्र में गहरी खुदाई करना आवश्यक है। इसके मुताबिक खुदाई-कार्य अभी शुरू हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

सतर्कता निकाय

*357. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० सारादीश राय :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचिबावा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेमराज :
श्री मणियंगाडन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री बड़े :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री ह० चं० सोय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि भ्रष्टाचार को

समाप्त करने के लिये वे अपने अपने राज्यों में सतर्कता व्यवस्था की स्थापना करें ;

(ख) इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही करने के लिये राज्यों ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में बाधक किन्हीं कठिनाइयों का उल्लेख किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे केन्द्रीय सतर्कता आयोग की तरह सतर्कता आयोगों की स्थापना करें।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की तरह के सतर्कता आयोगों की स्थापना कर दी है और केरल, मैसूर, उड़ीसा, असम, नागालैंड और पंजाब की सरकारों ने ऐसे आयोगों की स्थापना करने का निर्णय किया है। मद्रास, बिहार, जम्मू व काश्मीर और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग से कुछ बातों में भिन्न संगठनों को स्थापित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

(ग) जी नहीं।

कलकत्ता में अनधिकारवासियों की बस्तियां

*358. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में तथा उसके आसपास जो अनधिकारवासियों की बस्तियां हैं उनके विनियमन तथा विकास में विद्यमान गतिरोध को दूर करने के लिये क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : 148 बस्तियां जो विनियमन के लिये स्वीकृत की गई थीं उनमें से 132 पूर्ण रूप से और 12 आंशिक रुप से नियमित कर दी गई हैं। शेष 4 बस्तियों को नियमित करने के उपाय किये गये हैं।

35 बस्तियों के विकास का कार्य प्रगति पर है। 21 बस्तियों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जहां तक टोलीगंज क्षेत्र में 58 बस्तियों का सम्बन्ध है, विकास का कार्य एक सर्वतोमुखी योजना के भाग के अधीन होगा जिसके लिये राज्य सरकार को एक उचित एजेंसी स्थापित करनी होगी। शेष बस्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

अर्जन के सम्बन्ध में सामान्य कानूनी तथा क्रियाविधि आवश्यकताओं के अतिरिक्त किसी विशेष बाधा की सरकार को सूचना नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम

श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुरेश्वर मीना :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

*359. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री 27 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी वैकल्पिक माध्यम बिनाने के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). यह तय किया गया है कि सितम्बर, 1965 में होने वाली परीक्षा से हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जाय, बशर्ते संघ लोक सेवा आयोग इस दौरान ऐसे आवश्यक तरीके खोज निकाले जिससे अंग्रेजी और हिन्दी में दिये गये उत्तरों के मूल्यांकन के लिये एक जैसा स्तर कायम रखा जा सके । यह विषय अभी तक संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है ।

कचार में पुनर्वास

*360. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से पहले आये हुए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत कचार में भारतीय चाय संस्था योजना की असफलता के बारे में जांच करने के लिये 1962 में गठित समिति ने कोई प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समिति सितम्बर, 1962 के अन्तिम सप्ताह में गठित की गई थी । समिति के सचिव चूंकि असम सरकार के एक अधिकारी थे जिन्हें बाद में सिलचर से हस्थानतरित कर दिया गया और उनके स्थान पर एक अन्य अधिकारी को जून, 1963 में सचिव नियुक्त किया गया । क्योंकि यह एक पुरानी योजना थी और सम्बद्ध रिकार्ड आदि को एकत्रित करने में भी समय लगा जिसके कारण प्रथम बैठक 13 सितम्बर, 1963 तथा द्वितीय बैठक 30 नवम्बर, 1963 को हुई थी । इसके उपरान्त समिति की बैठक न हो सकी क्योंकि सरकारी सदस्य पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये विस्थापितों की अविलम्बनीय समस्याओं में व्यस्त थे । सभापति भी कुछ समय के लिये अन्य सौंपे गये कार्यों में व्यवस्त थे । समिति को कार्य पूरा करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

लखनऊ में हुए मुस्लिम सम्मेलन में पारित संकल्प

*361. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लखनऊ में हाल में ही हुए मुस्लिम सम्मेलन में पारित संकल्पों तथा उसमें दिये गये भाषणों की ओर ध्यान दिया है और उनको आपत्तिजनक नहीं पाया है तथा सम्प्रदायों के बीच सहयोग तथा अच्छे सम्बन्ध बनाने वाला पाया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) मुस्लिम सम्मेलन में दिए गए भाषणों और पारित संकल्पों को इकट्ठा लेते हुए, सरकार उन्हें कानून की दृष्टि से आपत्तिजनक नहीं समझती, परन्तु वे साम्प्रदायिक मेल की दृष्टि से संतोषजनक नहीं थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ढासा बांध

*362. **श्री प्र० के० देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस का एक सशस्त्र प्लाटून नजफगढ़ के निकट ढासा बांध पर तैनात किया गया है जिससे वह जनता को बाढ़ के पानी को निकालने के लिये बांध में दरार बनाने से रोक सके ;

(ख) क्या बांध में दरार बनाने के कारण पंजाब सरकार का कोई ओवरसियर गिरफ्तार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त ओवरसियर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां, इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा अभी जांच हो रही है।

जांच आयोग

*363. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बागड़ी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री प्र० के० देव :
श्री प० कुन्हन :

श्री हरि विष्णु कामत :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विधायकों तथा अन्य व्यक्तियों की कुछ याचिकायें सीधे प्राप्त अभ्यावेदनों के रूप में अथवा राष्ट्रपति के द्वारा मिली हैं कि राज्यों के कुछ मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध जांच आयोग नियुक्त किये जायें ;

(ख) किन किन राज्यों तथा मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध ऐसी याचिकायें मिली हैं ; और

(ग) उन अभ्यावेदनों पर सरकार को क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) यह लोक-हित में नहीं है कि उन राज्यों और मुख्य मंत्रियों के नाम केवल इसलिए बताये जायें कि सरकार को उन मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध कुछ याचिकायें, अभ्यावेदन या ज्ञापन मिले हैं ।

(ग) यह आरोपों के स्वरूप, उनके स्रोतों और अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों पर निर्भर होगा ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के नाम में प्रतिज्ञा लेना

*364 श्री सोलंकी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अगस्त, 1964 के 'दि मार्च आफ दि नेशन' साप्ताहिक के पृष्ठ 12 पर प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि संघशिक्षा मंत्री ने देश के सभी शिक्षा संस्थाओं को आदेश दिये हैं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम में प्रतिज्ञा लें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी विद्यार्थियों ने कटु आलोचना की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, प्रश्न प्राप्त होने के बाद ।

(ख) जी नहीं ।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध चुनाव याचिका

*365. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री वीरेन मित्रा के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका के बारे में चुनाव आयोग के निष्कर्ष की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि उड़ीसा सरकार के साथ उनके व्यापार सम्बन्ध रहे थे ;

(ख) क्या यह सच है कि चुनाव आयोग ने बताया है कि इन आरोपों की पूरी जांच करना संभव नहीं था क्योंकि आयोग को ऐसा करने के आवश्यक अधिकार नहीं थे तथा अपर्याप्त गवाही न होने के कारण आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया था ; और

(ग) क्या उच्च पदों पर भ्रष्टाचार हटाने के उपायों के रूप में याचिका में उल्लिखित तथ्यों की पूरी जांच करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) यह मत प्रकट करते हुए कि श्री वीरेन मित्रा उड़ीसा विधान सभा के सदस्य होने के लिये किसी अयोग्यता के पात्र नहीं हो गये हैं, चुनाव आयोग ने एक सामान्य विचार रखा था कि यह वांछनीय है कि उसे जांच आयोगों सम्बन्धी अधिनियम के अधीन एक आयोग को शक्तियां प्रदान की जाएं ।

(ग) राज्य विधान-मण्डल के एक सदस्य के रूप में श्री वीरेन मित्रा की अयोग्यता के प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेद 192 के अधीन राज्यपाल का निर्णय अन्तिम है । चुनाव याचिका में कथित बातें राष्ट्रपति को दिए गए एक अभ्यावेदन में भी, जिसकी जांच भारत सरकार द्वारा हो रही है, दी गई है ।

भूतपूर्व उप वित्त मंत्री द्वारा सम्पत्ति का कथित अर्जन

*366. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री भूतपूर्व उप वित्त मंत्री द्वारा सम्पत्ति के कथित अर्जन के बारे में 3 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले पर पूर्णतया विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में की जा रही जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा विवाद

*367. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यस्थ निर्णय के लिये श्री सी० एम० त्रिवेदी को सौंपे गये बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा विवाद को हल करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्री त्रिवेदी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 28 अगस्त, 1964 को दे दी है । इस रिपोर्ट की अब जांच हो रही है ।

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना

*368. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री रामपुरे :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या शिक्षा मंत्री 22 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी समिति का अन्तिम प्रतिवेदन इस बीच सरकार को मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर

*369. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर में इतनी अधिक भीड़ रहती है कि चावल अथवा चीनी लेने के लिये सरकारी कर्मचारियों को वहां पर कई घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टोर में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने की व्यवस्था में सुधार करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकारी कालोनियों तथा अन्य स्थानों पर और अधिक स्टोर खोलने का तथा कर्मचारियों की भीड़ वहां पर कम करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) कुछ अवसरों पर केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों पर कुछ वस्तुओं के लिये, जैसे चीनी और एक विशेष प्रकार के चावल, जो कम मात्रा में मिल रही हैं, भीड़ रही है। इन पदार्थों की केवल नियत मात्राएं ही इस समिति को दी जाती हैं और ये सदस्यों की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। परन्तु प्रबन्ध-समिति इस बात के लिये कि ग्राहकों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं जितनी जल्दी संभव हो मिले, सारे सम्भव प्रयत्न कर रही है।

(ग) इस समिति ने जुलाई, 1963 में एक स्टोर से काम आरम्भ किया। इस समय 17 स्टोर हैं जो दिल्ली की अधिकतर सरकारी बस्तियों में फैले हुए हैं। और अधिक स्टोर खोलने की आवश्यकता, धन और वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, लगातार विचाराधीन रहती है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल

*370. श्री सोनंकी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अगस्त, 1964 के 'दि मार्च आफ दि नेशन' साप्ताहिक के पृष्ठ 14 पर भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, नई दिल्ली के कार्यवहन के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उक्त स्कूल के केन्द्रीय एशियाई अध्ययन विभाग की हिमालय की परियोजना के लिये भारत सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकार की है ; और

(घ) क्या स्कूल के कार्यवहन के बारे में कोई जांच की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रायोजना के लिये, तीन वर्ष की अवधि के लिये, दो अनुसंधान सहायक और एक आशुटाइपकार के पद स्वीकृत किए है, जिन पर अनुमानित खर्च 32,000 रुपये होगा।

(ग) जी नहीं।

सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के मामले

*371. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री 19 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) पूरी जांच के बाद सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। केन्द्रीय अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पंजीबद्ध दस मामलों में जांच पूरी हो चुकी हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पंजीबद्ध दस मामलों में से, दो मामलों की रिपोर्ट सम्बन्धित विभागों को ऐसी कार्यवाही के लिये जैसी वे उचित समझें भेज दी गई हैं। इन मामलों में एकत्रित किया गया साक्ष्य अभियोग चलाने के लिये या नियमित विभागीय कार्यवाही करने के लिये, पर्याप्त नहीं था। चार मामलों में जिन में सरकारी कर्मचारी और मोहम्मद सिराजुद्दीन और उसके कर्मचारी शामिल हैं, न्यायालयों में अभियोग चला दिये गये हैं। दो मामलों में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही की जाने की सिफारिश की जा रही है। शेष दो मामलों में कानूनी छानबीन के कारण देर हो रही है और जो कानूनी राय होगी, उसे ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की सिफारिश की जायेगी।

सालिसिटर जनरल की हत्या

*372. { श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सालिसिटर जनरल की हत्या के मामले की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

उड़ीसा में प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण

1092. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधायें बढ़ाने और उनमें सुधार करने के लिए उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान या ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी रकम दी गयी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार कितना खर्च करने वाली है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने योजना के पहले तीन वर्षों में 30·90 लाख रुपये के अनुदान का उपयोग किये जाने की सूचना दी है।

(ग) इस योजना में सहायता के स्वीकृत ढांचे के अनुसार 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान मिल सकता है।

Hindi University in South

1093. **Shri Veerappa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration regarding the establishment of a Hindi University in the South ; and

(b) if so, a brief outline of the scheme ?

The Minister of Education (Shri M. C Chagla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

1094. श्रीमती लक्ष्मी बाई : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में मैट्रिक के बाद की राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अधीन प्रत्येक राज्य को कितना-कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में उस को जनसंख्या के मुकाबले में इन छात्रवृत्तियों की संख्या कितने प्रतिशत है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) विवरण 1 संलग्न है।

(ख) विवरण 2 संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०–३२१३/६४]

विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सा

१०९५. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष में उड़ीसा राज्य में विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान दिया गया है या दिया जाने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा राज्य में सुनाबडा, तिरुवेल्लो, पडुआ, डंगरी और अम्बागुडा के शिविरों में अस्पताल खोलने के लिए 94,200 रुपये के आवर्तक व्यय और 3,12,000 रुपये के अनावर्तक व्यय के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। प्रारम्भिक दशाओं में अस्पतालों और औषधालयों के लिए खाली मकानों का इस्तेमाल किया जा सकता है और जरूरत होने पर अलग इमारतें बनाने का काम शुरू किया जायगा।

पट्टुक्कोट्टाई में तेल की खोज

१०९६. श्री थेवर्गोंडर: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के पट्टुक्कोट्टाई (जिला तंजावर) में जो खोज कार्य किया जा रहा है उस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या नतीजा निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) एक कुआं पूरा हो चुका है और इस खुदाई के लिये एक दूसरा स्थान तैयार किया जा रहा है।

(ख) भूतत्वीय जानकारी प्राप्त की गयी थी।

दिल्ली निगम के लेखे

१०९७. श्री नम्बियार :
डा० साराडीश राय :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री कुन्हन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली निगम के चुंगी कर विभाग के हिसाब किताब की पिछले छः वर्षों से कोई लेखा परीक्षा नहीं की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस में कुल कितनी रकम है ; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कदम उठाने वाली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ग). चुंगीकर दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के अभिकरण के जरिये वसूल किया जाता है और इस प्रयोजन के लिये उसे चुंगी कर अभिकरण कहा जाता है। इस अभिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा 31 मार्च, 1963 को समाप्त अवधि के लिए दिल्ली चुंगी कर नियम, 1958 के नियम 58 के अधीन शक्तियों के

प्रयोग में जारी किये गये, चुंगी कर अभिकरण के रूप में कमिश्नर के आदेशों के अधीन आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग के उप प्रमुख लेखापाल द्वारा की गयी है। इसके अलावा अभिकरण के कर्मचारियों की आय के सम्बन्ध में प्रत्येक लेन-देन की जांच के लिए भी फिलहाल व्यवस्था मौजूद है।

सरकार की राय से अभिकरण ने 181-0-1963 को नगरपालिका प्रमुख लेखापरीक्षक को चुंगी कर प्राप्तियों के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त भी किया है। कर्मचारियों के अभाव के कारण नगरपालिका प्रमुख लेखापरीक्षक काम आरम्भ नहीं कर सका। अनुमान है कि जब लेखा-परीक्षा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए दिल्ली नगर निगम मंजूरी दे देगा और आवश्यक नियुक्तियां की जायेंगी तब शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जायगा।

(ख) 31 मार्च, 1964 तक 11,07,13,604 रुपये।

ईरान से तेल रियायत

1098. श्री रा० गि० दुबे :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दो० चं० शर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री पी० आर० नायक के नेतृत्व में एक दल ने उस बातचीत के बारे में जो उन्होंने तेल रियायतों के बारे में ईरान सरकार के साथ की थी, कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर): (क) उस दल ने ईरान सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं की थी। नैशनल इरानियन ऑयल कम्पनी के साथ औपचारिक रूप से अक्टूबर, 1963 में और अनौपचारिक रूप से बाद में अनेक अवसरों पर बातचीत की गयी थी। इन सभी चर्चाओं के बारे में सरकार को रिपोर्टें दी जा चुकी हैं।

(ख) इन चर्चाओं का मुख्य परिणाम यह रहा कि ईरान के समुद्र तट से दूर के क्षेत्र में रियायत प्राप्त करने की होड़ में ई० एन० आई० की सहायक कम्पनी ए० जी० आई० थी और फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी को मिलाने का निश्चय किया गया है।

राजस्थान में उर्वरक कारखाने

1099. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के एक विशेषज्ञ दल ने यह सुझाव दिया था कि तीन उर्वरक कारखाने राजस्थान में स्थापित किये जायें;

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कहां और संभवत: कब स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इन कारखानों पर कुल कितना खर्च होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी नहीं । भारत के उर्वरक निगम ने उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये उदयपुर, कोटा और खेतरी के स्थानों का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया है । कोटा में एक गैर-सरकारी कारखाना खोलने के लिए इस बीच मंजूरी दी जा चुकी है ।

(ख) और (ग). कोटा में वह योजना केवल प्रारम्भिक दशा में है क्योंकि हनुमानगढ़ में पहले की लाइसेंसशुदा जगह बदलने के लिए उस पार्टी का आवेदन पत्र अभी हाल ही में मंजूर किया गया है । अन्य दो स्थानों की योजनाओं का जहां तक संबंध है वे अभी भी विचार की प्राथमिक दशाओं में हैं ।

छोटे तेल शोधक कारखाने

1100. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रू० चं० सामन्त :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बहुत बड़े समुद्र तटीय शोधक कारखानों की अपेक्षा उपभोग केन्द्रों के पास छोटे पैमाने के कई शोधक कारखाने खोलने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेहरू पुरस्कार

1101. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिये जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० फ० चागला) : (क) जी, नहीं । परन्तु इस प्रकार का पुरस्कार प्रारम्भ करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययन के लिये स्कूल

1102. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययन सम्बन्धी स्कूल के लिये नई दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर रवीन्द्र भवन के पास एक तिमंजिला भवन बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस भवन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इंडियन स्कूल ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज को अपना भवन बनाने के लिये फिरोजशाह रोड पर रवीन्द्र भवन के पास एक प्लाट आवण्टित किया गया है। स्कूल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पेश किये गये प्रारम्भिक नक्शे और प्राक्कलन विचाराधीन हैं।

(ख) 22,10,000 रुपये।

दिल्ली में नेहरू स्मारक

1103. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नेहरू स्मारक निर्मित करने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) तीन मूर्ति हाउस को नेहरू स्मारक में परिवर्तित करने का विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी

1104. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री धज्जन :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री भो० प्र० यादव :

क्या शिक्षा मंत्री 15 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की समस्याओं सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की समस्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

पाकिस्तानियों का अनधिकृत प्रवेश

1105. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में अनधिकृत रूप से आये पाकिस्तानियों की छानबीन करने के लिये अभी तक कितने न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये हैं;

(ख) अभी तक कितने व्यक्तियों की छानबीन की गई है; और

(ग) वह कार्य कब पूरा होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) 4।

(ख) जुलाई, 1964 तक 25,845 ।

(ग) न्यायाधिकरण तब तक जारी रखने होंगे जब तक कि अनधिकृत रूप से आये पाकिस्तानी यहां रहते हैं।

दिल्ली में आग

1106. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 जून, 1964 को दिल्ली में सदर बाजार की गांधी मार्केट बस्ती में एक बड़ा अग्निकांड हुआ जिसमें सैकड़ों दुकानें जल गईं और लाखों रुपये का सामान नष्ट हो गया; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने का कारण क्या था और उसे बुझाने में कितना समय लगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां। 71 दुकानें पूर्णतः जल गईं और 10 दुकानें अंशतः। नुकसान का अनुमान लगभग 20 लाख रुपये लगाया जाता है।

(ख) आग लगने का कारण निश्चित नहीं किया जा सका। आग बुझाने वालों को आग पर काबू पाने में लगभग दो घंटे लगे।

दिल्ली में गुण्डे

1107. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें दिल्ली के संघराज्य क्षेत्र में उपद्रव करने वाले गुण्डों और पुराने अपराधियों को यहां से निकालने के लिये शक्ति मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा

1108. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा निर्मित एक कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि भविष्य में माध्यमिक शिक्षा पूर्णत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

प्रथम श्रेणी में एम० एस० सी० पास करने वालों को छात्रवृत्तियां

1109. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रथम श्रेणी में एम० एस० सी० पास करने वाले समस्त व्यक्तियों को 300 रुपये से 400 रुपये तक की छात्रवृत्तियां देने का विचार कर रही है; और

(ख) ऐसी योजना पर वार्षिक व्यय कितना होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

प्रबन्ध प्रशिक्षण

1110. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये समस्त विश्वविद्यालयों में विशेष विभाग स्थापित करने का कोई सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) भारत के किन-किन विश्वविद्यालयों में ऐसे विभाग पहले से मौजूद हैं; प्रत्येक के लिये कितनी सीटें मंजूर की गई हैं और क्या सरकार इन वर्तमान विभागों का विस्तार करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारत में प्रबन्ध अध्ययन के लिये इस समय निम्नलिखित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में सुविधायें उपलब्ध हैं :

1. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	60 सीटें
2. भारतीय समाजकल्याण और व्यापार प्रबन्ध संस्था, कलकत्ता	60 सीटें
3. जमनालाल बजाज इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बम्बई विश्व बम्बई	60 सीटें 80 सीटें

4. उस्मानिया विश्वविद्यालय	30 सीटें
5. मद्रास विश्वविद्यालय	60 सीटें
6. त्यागराजर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, मदुरै	30 सीटें
7. विक्टोरिया जुबिली टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, बम्बई	80 सीटें
8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था	12 सीटें
9. भारतीय प्रबन्ध संस्था, कलकत्ता	80 सीटें
10. भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद	60 सीटें

इन सुविधाओं के विस्तार के प्रश्न पर अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है ।

हिन्दी के कवि मुक्तिबोध

1111. **महाराजकुमार विजयआनन्द :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी के प्रख्यात कवि श्री मुक्तिबोध हाल में भोपाल में अत्यधिक बीमार पड़ गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि उनको राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित चिकित्सा सुविधायें नहीं दी गईं; और

(ग) भारत सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) स्वर्गीय श्री मुक्तिबोध को दिल्ली लाने का प्रबन्ध किया गया और उनको इलाज के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में भरती किया गया ।

(ग) 500 रुपये की पिण्डराशि प्रधान मंत्री सहायता कोष में से और "संकटग्रस्त कलाकारों आदि को वित्तीय सहायता" योजना के अन्तर्गत 1-6-1964 से 100 रुपये प्रति माह की राशि मंजूर की गई ।

विश्वायतन योगाश्रम

1112. **श्री हेम राज :** क्या शिक्षा मंत्री 22 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छै वर्षों में विश्वायतन योगाश्रम को दी गई सहायता अथवा अनुदान के हिसाब का लेखा-परीक्षण किया गया है और उसे सरकार को पेश किया गया है;

(ख) आश्रम ने यौगिक गवेषणा अथवा व्यायामों के चिकित्सा सम्बन्धी लाभ के क्षेत्र में क्या काम किया है; और

(ग) क्या संगठन के विरुद्ध शिकायतों की जांच पूरी हो गई है और, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वायतन योगाश्रम में मुख्यतः यौगिक व्यायाम प्रशिक्षण दिया जाता है यद्यपि उसने रोगियों को योगिक चिकित्सा देने के लिये कुछ बवासीर कैम्प भी आयोजित किये हैं। संभवतः योग सम्बन्धी कोई गवेषणा कार्य नहीं किया गया है।

(ग) जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

गैर-सरकारी प्रविधिक संस्थायें

1113. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् के पूर्व परामर्श के बिना कोई नई प्रविधिक संस्था स्थापित नहीं की जानी चाहिये;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है; और

(ग) जो संस्थायें पहले से चल रही हैं उनके सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) इन संस्थाओं के द्वारा सही स्तर कायम रखाने के लिये संबंधित राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को कुछ शिक्षा सम्बन्धी प्रशासकीय और वित्तीय सिद्धान्त सुझाये गये हैं। एक विशेष जांच समिति ने इन संस्थाओं का निरीक्षण किया और उसकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

कोचीन का तेलशोधक कारखाना

1114. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन के तेल शोधक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : कोचीन के तेल शोधक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रगति हुई है :

(1) लगभग 600 एकड़ भूमि अर्जित कर के कोचीन रिफाईनेरीज़ लिमिटेड को दे दी गई है।

(2) निर्माण-कार्य के लिये जगह तैयार की जा रही है और उसके अक्तूबर, 1964 तक तैयार हो जाने की आशा है।

(3) कारखाने से चित्रपुझा तक 2 मील लम्बी मिलाने वली सड़क बनाने के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है; निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसे कोचीन पत्तन से उपकरण ढोने के काम में लाया जायेगा।

(4) कम्पनी को 90 प्रतिशत निर्माण उपकरण/औजार और 75 प्रतिशत कारखाने की मशीनें/सामग्री के आयात के लिये आयात लाईसेंस जारी किये गये हैं। कुछ मशीनें/सामग्री स्थल पर पहुंच चुकी हैं। शेष मशीनों/सामग्री के आयात के लिये व्यवस्था की जा रही है।

केन्द्रीय रक्षित पुलिस

1115. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय रक्षित पुलिस की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुलिस सेवा पदाधिकारियों की संख्या में भी इसी अनुपात से वृद्धि की जावेगी; और

(ग) क्या सरकार के पास फालतू भारतीय पुलिस सेवा पदाधिकारी हैं या उनको नियुक्त किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सरकार ने केन्द्रीय रक्षित पुलिस में तीन बटालियन और बढ़ाने का निश्चय किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय पुलिस सेवा पदाधिकारियों की संख्या फालतू नहीं है और भारतीय पुलिस सेवा पदाधिकारी नियुक्त करने का वर्तमान तरीका जारी रहेगा।

One-year Higher Secondary Course

1116. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to continue the higher secondary one-year course ;

(b) if so, a brief outline of the scneme ; and

(c) the benefit that would accrue to the students from the scheme ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir, for the present.

(b) A student offering this course has to take two compulsory subjects, namely, English and a Modern Indian language, and any three of the elective subjects prescribed by the Central Board of Secondary Education.

(c) The one year-course enables the students who have passed high school or an equivalent examination to acquire more knowledge. It also provides such students facilities for acquiring the requisite qualifications for admission to courses for which Higher Secondary Examination Certificate is the minimum qualification.

Summer Engineeriing Training Camp

1117. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Summer Engineering training camp is being organised in Calcutta this year ;

(b) if so, the number of participating engineers :

(c) whether this Camp is being organized with the assistance of some foreigners ; and

(d) if so, the name of the foreign country and the number of engineers who came from abroad ?

The Minnister for Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). Two Summer Schools for engineering teachers were organised during May-July, 1964 in Calcutta, one at Jadavpur and another at Sibpur. 128 teachers participated·

(c) and (d). The Schools were organised in co-operation with the United States Agency for International Development which provided the services of seven Ameri can experts. Five of these experts came from the States specifically for the Summer Schools and two experts were already inIndia on other assignments

New Universities at Bombay and Pilani

1118. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri B. P. Yadava :
Shri Dhaon :
Shri Bishanchander Seth :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Tata Institute of Social Sciences, Bombay and the Birla Institute of Technology and Science, Pilani have been declared as Universities; and

(b) if so, the conditions, if any, attached to such declaration

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) These institutions have been declared as ' deemed to be Universities' under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

(b) The declaration is subject to two conditions :

(i) that it is valid for a period of three years, in the first instance, and the progress made by them would be reviewed before the expiry of the said period, and

(ii) that they will incorporate in their constitutions such amendments as may be considered necessary by Government.

विश्व भारती विश्वविद्यालय

1119. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रति विद्यार्थी व्यय सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से अधिक है ;

(ख) कितने विभागों में बीस से कम विद्यार्थी हैं और उनके क्या नाम हैं;

(ग) इस विश्वविद्याय में पढ़ने के लिये कितने विद्यार्थियों की फीस माफ की गयी है; और

(घ) क्या प्राकृतिक ढंग से और सादा रहने के वातावरण को बनाये रखने के लिये, जो कि टैगोर के पढ़ाने का विशिष्ट तरीका रहा, कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व भारती में शिक्षा विभाग विभागों में नहीं बंटे हुए हैं । जिन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विषयों में बीस से कम विद्यार्थी हैं, उनके नाम ये हैं :—

1. संस्कृत
2. हिन्दी
3. उडिया
4. चीनी (आनर्स कोर्स 1963 में चालू किया गया)
5. इन्डोलोजी (प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति)
6. फ़िजिक्स (1963 में आरम्भ किया गया)
7. भारत–तिब्बत अध्ययन
8. अरबी, फ़ारसी, और इस्लामी अध्ययन
9. बोटेनी (वनस्पति शास्त्र)
10. जूलोजी (प्राणी शास्त्र)

निम्नलिखित भाषाओं में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में भी बीस से कम विद्यार्थी हैं :—

हिन्दी, तिब्बती, चीनी, जापानी, फ्रांसीसी और जर्मन ।

(ग) 289 विद्यार्थी पूरी फीस माफ और 28 विद्यार्थी आधी फीस माफ ।

(घ) जी, हां । कुछ विज्ञान के विषयों को छोड़ कर सभी आयु के विद्यार्थियों के लिये बाहर कक्षाओं का आयोजन किया जाता है और विद्यार्थियों को सादा रहने में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र

1120. **श्री अ० व० राघवन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयली में एक संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों पर कोई संभावित प्रभाव पड़ने के बारे में पता लगाया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में रबड़ बोर्ड से परामर्श किया है; और

(घ) क्या संश्लिष्ट रबड़ के उपभोक्ताओं को प्राकृतिक रबड़ के आयात करने में कुछ रियायतें दी गयी हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन में मितव्ययता के लिये प्राथमिक मूल्यांकन किया गया है और उसका विस्तार से विश्लेषण किया जा रहा है । 'कम्पलेक्स' का पूरा ब्योरा प्राप्त हो जाने के बाद ही, जिससे प्रस्तावित संश्लिष्ट रबड़ की उत्पादन लागत आदि के बारेमें हिसाब लगाया जा सकेगा, अन्तिम निर्णय किया जायेगा । इसके बाद ही संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन का रबड़ के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है ।

(ग) कोयली में संश्लिष्ट रबड़ बनाने की योजना पिछले वर्ष रबड़ की कुल आवश्यकता, रबड़ बोर्ड के प्राक्कलनों के अनुसार प्राकृतिक रबड़ के संभावित घरेलू उत्पादन,साफ रबड़ की स्थानीय उपलब्धता और एस० बी० आर० किस्म के संश्लिष्ट रबड़ के घरेलू उत्पादन को ध्यान में रख कर बनायी गयी है । यह स्थिति रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष को कुछ महीने पहले बातचीत के दौरान और पत्र-व्यवहार द्वारा स्पष्ट कर दी गयी है ।

(घ) ऐसी कोई रियायतें नहीं दी गयी हैं । अप्रैल-सितम्बर, 1964 की अवधि में प्राकृतिक रबड़ के आयात को संश्लिष्ट रबड़ के अपक्रय से 1 : 1 के अनुपात से सम्बद्ध किया गया है ।

दिल्ली के स्कूलों के लिये पाठ्य पुस्तकें

1121. **श्री दे० द० दुरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों में एक ही विषय पर विभिन्न पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी स्कूलों में विभिन्न विषयों के लिये समान पाठ्य-पुस्तकें लागू करने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी,हां; जहां तक प्रायमरी और मिडिल कक्षाओं का सम्बन्ध है लेकिन नवीं से ग्यारहवीं कक्षा तक नहीं ।

(ख) जी, हां ।

गैर-सरकारी संस्थाओं को शिक्षा अनुदान

1122. **डा० पं० शा० देशमुख** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संस्थाओं को शिक्षा अनुदान देने की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) उन राज्य सरकारों के क्या नाम हैं जिन्होंने उस स्तर पर अनुदान दिये गये हैं जिस पर वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाते हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस समय शिक्षा मंत्रालय में सहाय्य-अनुदान की समस्या पर पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है । इस अध्ययन के परिणामों को शीघ्र ही प्रकाशित

किया जायेगा और इस को सभी सम्बन्धित संस्थाओं और इस समस्या में रुचि रखने वालों को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्थाओं को इस स्पष्ट आश्वासन पर विकास योजनाओं के लिये अनुदान मंजूर करता है कि इस में बाकी धन या तो वे स्वयं लगायेंगे या सम्बन्धित राज्य सरकारें लगायेंगी । उन राज्य सरकारों के नामों के बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है जिन्हों ने उस स्तर पर अनुदान दिये हैं जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाते हैं ।

दमदम हवाई अड्डे पर एक यात्री का लापता हो जाना

1123. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जुलाई, 1964 को मोहम्मद बेग नाम का पान-अमेरिकन एयरवेज़ का एक यात्री बिना वैध यात्रा कागजात के दमदम हवाई अड्डे से लापता हो गया ;

(ख) क्या इस सुरक्षा व्यवस्था के भंग होने के बारे में हवाई अड्डा अधिकारियों ने कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) (क) यह सच है कि 7 जुलाई, 1964 को मुहम्मद बेग दमदम हवाई अड्डे से बच निकला (लापता नहीं हुआ) ।

(ख) और (ग). क्योंकि इस व्यक्ति को फौरन ही पकड़ लिया गया, दोषसिद्ध किया गया और सजा दी गयी, सुरक्षा भंग होने की जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

साम्प्रदायिक दंगे

1124. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, राज्य-वार, भारत सुरक्षा नियमों के अंतर्गत जनवरी से मार्च 1964 की अवधि में साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेने के लिये नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की क्या संख्या है ;

(ख) उन में से बाद में कितने व्यक्ति छोड़ दिये गये हैं ;

(ग) अभी तक कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं ; और

(घ) भावी दंगों को न होने देने के लिये यदि कोई निवारण कार्रवाई की जा रही है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3217/64]

(घ) सभा का ध्यान 27-5-1964 को तारांकित प्रश्न संख्या एक के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर रखे गये विस्तृत विवरण की ओर दिलाया जाता है ।

कल्याणी में मुद्रण प्रौद्योगिकी संस्था

1125. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याणी, पश्चिम बंगाल में एक केन्द्रीय मुद्रण प्रोद्योगिकी संस्था स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था में क्या सुविधायें दी जायेंगी और क्या पाठ्यक्रम होंगे ;

(ग) निर्माण-कार्य कब से आरम्भ होगा ; और

(घ) इस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इसके लिये नियुक्त की गयी एक विशेष समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय मुद्रण संस्था कल्याणी में स्थापित की जाये । समिति की सिफारिश विचाराधीन है ।

(ख) संस्था मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिग्री स्तर का पूर्णांग पाठ्यक्रम लागू करेगी और मुद्रण उद्योग के लिये विशेष पाठ्यक्रम । संस्था में मुद्रण के बारे में अनुसंधान भी किया जायेगा ।

(ग) योजना के मंजूर किये जाते ही निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

(घ) परियोजना पर 142 लाख रुपये पूंजी व्यय होने का अनुमान है और आवर्ती व्यय प्रति वर्ष 9.20 लाख रुपये होगा ।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली

1126. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली के कार्यकरण में गंभीर अनियमितताओं के बारे में दस संसद् सदस्यों द्वारा की गयी शिकायतों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या उपपत्तियां हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) कुछ संसद् सदस्यों द्वारा दी गयी रिपोर्ट विचाराधीन है ।

तोक्यो ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ी

1127. **श्री प्र० के० देव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अ० सिं० लङ्गल :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तोक्यों में होने वाले ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने

वाले खिलाड़ियों का चयन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्योरा है ;

(ग) इस भ्रमण पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(घ) ये खिलाड़ी जापान कब जायेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिये भारतीय खिलाड़ियों का चयन भारतीय ओलम्पिक संघ ने किया है। इस संघ ने सरकार से वित्तीय सहायता देने और आवश्यक विदेशी मुद्रा के लिये आवेदन किया है। इस बारे में अखिल भारत खेल-कूद परिषद् ने भारतीय ओलम्पिक संघ की प्रार्थना पर विचार किया है और 56 खिलाड़ियों और 18 पदाधिकारियों के भेजे जाने की सिफारिश की है। इन का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

खेल	खिलाड़ियों की संख्या	पदाधिकारियों की संख्या	कुल
हाकी . .	18	2	20
एथलेटिक्स . .	10	2	12
कुश्ती . . .	8	2	10
भारोत्तोलन . . .	3	1	4
मुक्केबाजी . . .	1	1	2
निशानाबाजी . . .	3	1	4
साइकल चलाना	5	1	6
जिम्नास्टिक्स .	6	1	7
गोताखोरी .	2	1	3
	56	12	67

दल का भोजन बनाने वाला

सचिव-एवं-खजान्ची

लोक सम्पर्क पदाधिकारी

बंदूक मरम्मत करने वाला

रसोइये—2

इस पर 1,00,400 रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी।

(घ) संभावित तिथि 30 सितम्बर, 1964 है।

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पीड़ित

1128. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी से 31 जुलाई, 1964 तक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पीड़ितों को कुल कितना धन दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : 6,150 रुपये ।

पनहन गांव में पुरातत्वीय वस्तुओं का मिलना

1129. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्नाव जिले (उत्तर प्रदेश) में पनहन गांव में मौर्य काल के और गुप्त काल के ऐतिहासिक महत्व की कुछ अनुपलब्ध वस्तुएं मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रामनगर में पुरानी वस्तुओं की खुदाई

1130. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरा से लगभग 40 मील की दूरी पर रामनगर में महाभारत के स्थान पर विस्तार से खुदाई कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर कौन सी पुरानी वस्तुएं मिली हैं जिनसे महाभारत काल का पता चलता हो ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं । परन्तु बरेली से लगभग 40 मील दूरी पर रामनगर के निकट अहिछत्र के सीमित क्षेत्र में खुदाई कार्य चालू किया गया था ।

(ख) विभिन्न स्तरों पर प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन किया जा रहा है और इस समय उनकी तिथि के बारे में कोई सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ।

शिक्षा के स्तर सम्बन्धी समिति

1131. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई शिक्षा स्तर सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अक्तूबर, 1964 के अन्त तक ।

हायर सेकेन्डरी स्कूल

1132. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के लागू किये जाने से अब तक राज्यवार कितने हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों में बदल दिया गया है ;

(ख) राज्य-वार कितने हाई स्कूलों को अभी हायर सेकेन्डरी स्कूलों में बदलना बाकी है ; और

(ग) क्या सरकार हायर सेकेन्डरी योजना तथा इसमें हुई धीमी प्रगति के कारणों का सही मूल्यांकन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) कोई औपचारिक मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि इस योजना के लागू करने में आने वाली बाधायें विदित हैं ।

अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन

1133. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री 11 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 526 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच 38वें अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का कार्यवाही-वृतान्त प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या उसने कोई सुझाव दिया है कि पंचायतों को प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सम्मेलन ने यह संकल्प पारित किया है कि जब तक पंचायत समितियों की कार्य-कुशलता सिद्ध न हो जाये तब तक उन्हें प्राथमिक शिक्षा का भार न सौंपा जाये ।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस संकल्प के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है ।

केन्द्रीय सहकारी स्टोर योजना का विस्तार

1134. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री 4 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में दिल्ली प्रशासन, नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर

समिति के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर योजना के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से इस प्रश्न के बारे में लिखा पढ़ी की जा रही है और उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

1135. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यापकों की प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने सम्बन्धी केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य सरकारों को अब तक राज्य-वार कुल कितनी धन राशि दी गई है ; और

(ख) क्या गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को भी ये सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) हिन्दी अध्यापकों को छोड़कर अध्यापकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी सारी योजनायें राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के रूप में कार्यान्वित की जाती हैं और केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के रूप में नहीं । अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को 1661–64 की अवधि में हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत दिये गये अनुदान दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	1961–64 की अवधि में मंजूर की गई धनराशि
1	आन्ध्र प्रदेश	0.84
2	गुजरात	1.49
3	केरल	4.11
4	मद्रास	1.50
5	महाराष्ट्र	0.39
6	मैसूर	2.81

(ख) अहिन्दी भाषी राज्यों के गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को भी राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत चलाये गये पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति है ।

पंजाब के पिछड़े वर्गों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

1136. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को 1964–65 के लिये पंजाब में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिये कोई अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी राशि क्या है ; और

(ग) क्या वह राशि छात्रों में पूर्ण रूप से वितरित कर दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) 15,36,500 रुपये ।

(ग) छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा पूरे वर्ष दी जाती है और इसलिये, यह जानकारी, कि पूरी धन राशि छात्रों में बांट दी गई है अथवा नहीं, 1964–65 वित्तीय वर्ष के अन्त में ही प्राप्त हो सकेगी ।

पंजाब में बहु-प्रयोजनीय स्कूल

1137. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में योजना के लागू किये जाने से अब तक कितने बहु-प्रयोजनीय स्कूल खोले गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 85.

HARIJAN WELFARE OFFICE, DELHI

1138. **Shri Naval Prabhakar** : Will the Min ster of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that work pe 'aining to Ha ijan Welfare is not being done at Hari an Welfare Office in Delhi on account of the fact that there is no Harijan Welfare Officer ; and

(*b*) if so, the steps be ng taken in this connection by the Delhi Administration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (*a*) and (*b*) There is no post of Harijan Welfare Officer under the Delhi Adm nistration. The work of Harijan Welfare Office is looked after by the Secretary, Harijan Welfare Board under the supervision of the Assistant Devel pment Commiss oner (Plann ng). The post of Secretary Harijan Welfare Boa d has however fallen vacant with effect from 15th June 1964. Since then the Assistant Development Commi sioner himself is looking after the work. The Delhi Administration have selec ed another officer for appointment to the po t of Secretary, Harijan Welfare Boa d, who is expected to join shortly.

मैसूर के अधिकारियों की वरीयता सूची

1139. **श्री सं० बं० पाटिल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के गजेटिड अथवा नॉन-गजेटिड अफसरों की ग्रेडेशन तथा वरीयता सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में इतना अधिक विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) गजेटिड अफसरों के बारे में 1960 तक की गई कार्यवाही मैसूर उच्च-न्यायालय के निर्णय द्वारा रद्द हो गई । नॉन-गजेटिड कर्मचारियों के मामले में, अस्थायी ग्रेडेशन सूचियों को, जो विभागाध्यक्षों द्वारा प्रकाशित कर दी गई थीं, वैधिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से राज्य सरकार को आवश्यक परिवर्तनों के बाद दोबारा प्रकाशित करना पड़ा ।

एमोनियम सल्फेट

1140. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भारत में अधिक मात्रा में एमोनियम सल्फेट का निर्माण करने के लिये अमोनिया का आयात करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). भारत में उर्वरकों का निर्माण करने के लिये एमोनिया के संभाव्य आयात के बारे में कुछ फर्मों द्वारा किये गये कुछ अस्थायी प्रस्तावों की प्रारम्भिक रूप में जांच की जा रही है । इसलिये इस समय कोई ब्यौरा देना संभव नहीं है ।

दिल्ली के लिये उच्च न्यायालय

1141. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 12 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लिये एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने के दिल्ली प्रशासन के सुझाव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

EDUCATION GRANTS TO BIHAR,

1142. **Shri Yogindra Jha** :
Shrimati Ramdulari Sinha :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Bihar Government have written to the Central Government regarding their inability in regard to spreading of education and providing more facilities to the teachers according to the plan target for want of funds :

(*b*) whether the Bihar Government have also requested for the grant of financial assistance to achieve the plan target ; and

(*c*) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan. (*a*) and (*b*) Yes, Sir.

(*c*) The Central Government are keen to promote education in all parts of the country, particularly in those which have lagged behind. Besides the normal assistance given to pattern schemes an *ad hoc* assistance at Rs. 20 lakhs was given to the Bihar Government during 1963-64 for spread of primary education,

सोडा एश के मूल्य

1143. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा एश पर से नियंत्रण हटाने से इसके मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रित मूल्य क्या थे और वर्तमान बाजार मूल्य क्या हैं ; और

(ग) क्या निर्माताओं तथा व्यापारियों द्वारा प्रतिबन्धित नीति अपनायी जाने के परिणाम स्वरूप कांच उद्योग से सोडा एश की अउपलब्धता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) नियंत्रण हटाते समय (16 दिसम्बर, 1963) को लाइट सोडा एश तथा हैवी सोडा एश के एक्स वर्क्स मूल्य क्रमश: 390 रुपये प्रति टन तथा 415 रुपये प्रति टन थे जो अब बढ़ कर क्रमश: औसतन 415 रुपये प्रति टन और 435 रुपये प्रति टन हो गये हैं । आयात किये गये लाइट सोडा का एक्स-गोदाम मूल्य कलकत्ता में 495 रुपये प्रति टन है तथा हैवी सोडा एश के मूल्य कलकत्ता तथा बम्बई में क्रमश: 520 रुपये प्रति टन और 500 रुपये प्रति टन है ।

वर्तमान बाजार मूल्य 780 और 900 रुपये प्रति टन के बीच घटते बढ़ते रहते हैं ।

(ग) सोडे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है और कांच उद्योग की आवश्यकताओं को आयात किये गये कोटे से पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । आयात किये गये हैवी सोडा एश की पूरी मात्रा ग्लास सीट निर्माताओं को दी जाती है ।

नई दिल्ली स्थित इण्डियन आयल कम्पनी के कार्यालय में अग्नि कांड

1144. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मुरारका :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 अगस्त, 1964 को पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली स्थित इण्डियन

आयल कम्पनी के कार्यालय भवन में आग लगने से कम्पनी के केन्द्रीय कार्यालय का अधिकांश रिकार्ड नष्ट हो गया है;

(ख) यदि हां, तो आग कैसे लगी; और

(ग) इस अग्निकांड में कितनी हानि हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) से (ग). इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड नार्दर्न ब्रांच आफिस (जिसे अब इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड---मार्केटिंग डिवीज़न कहते हैं) में 17 अगस्त, 1964 के अग्निकांड के परिणामस्वरूप कारपोरेशन के निम्नलिखित रिकार्ड की हानि हुई :

विक्रय विभाग . .	50 प्रतिशत
आपरेशन और इंजीनियरी विभाग	25 प्रतिशत
प्रशासन विभाग	10 प्रतिशत

लेखा विभाग के रिकार्ड सुरक्षित हैं।

जांच पड़ताल से ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली के शार्ट सर्किट हो जाने से आग लगी है।

कार्यालय के उपकरणों, फर्नीचर और एअर कण्डीशनरों आदि की अनुमानित हानि लगभग 2,22,092 रुपये है।

विज्ञान के अध्यापन के लिए फिल्में

1145. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा देने के लिये 8 मिली मीटर की फिल्में तथा कम मूल्य वाले प्रोजेक्टरों को प्रयोग में लाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो योजना की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली हाकी एसोसिएशन को अनुदान

1146. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1964 में नेशनल हाकी चैम्पियनशिप का आयोजन करने के लिये दिल्ली हाकी एसोसिएशन को 10,000 रुपये का अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को चैम्पियनशिप मैचों के परीक्षित लेखे प्राप्त हो गये हैं कि अनुदान का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :(क) दिल्ली हाकी एसोसिएशन को वर्ष 1964 में नेशनल चैम्पियनशिप का आयोजन करने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा 5,000 रुपये का अनुदान दिया गया था।

(ख) अनुदान के परीक्षित लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, तथापि दिल्ली प्रशासन परीक्षित लेखे यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

सूरतकल इंजीनियरी कालेज, दक्षिणी कनारा

1147. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतकल इंजीनियरी कालेज, दक्षिणी कनारा, मैसूर राज्य, सरकारी संस्था है अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था;

(ख) क्या उपर्युक्त कालेज में विद्यार्थियों को दाखिल करने के लिये कोई निश्चित कसौटी निर्धारित की गई है;

(ग) क्या दाखिले के मामलों में मनमानी और पक्षपातपूर्ण बर्ताव की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो मामले को ठीक करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कालेज केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आपातकाल की घोषणा

1148. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रि परिषद् राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा को समाप्त करने के लिये सलाह देना चाहता है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त घोषणा कब की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). चूंकि भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा पैदा हो गया था अतः आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह खतरा अभी भी बना हुआ है। अतः सरकार फिलहाल राष्ट्रपति को घोषणा समाप्त करने की सलाह देना नहीं चाहती है।

तरल पेट्रोलियम गैस के लिये सिलिण्डरों का आयात

1149. **श्री राम हरख यादव** :
श्री बसवन्त :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तरल पेट्रोलियम गैस के लिये सिलिण्डरों के आयात के लिये इटली

की एक फर्म के साथ करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). इण्डियन आयल कारपोरेशन तरल पेट्रोलियम गैस के लिये सिलिण्डरों की सप्लाई करने के लिये इटली की "स्नाम प्रोजेट्टी" फर्म से बातचीत कर रहा है।

भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्रियां

1150. श्री राम हरख यादव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्र मंडल के सभी देश भारतीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों और डिप्लोमाओं को ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों की डिग्रियों और डिप्लोमाओं की तुलना में समान रूप से मान्यता नहीं देते; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारतीय छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करवाने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रमंडलीय देशों द्वारा भारतीय डिग्रियों/डिप्लोमाओं को मान्यता देने की समस्या पेचीदा एवं कठिन है, क्योंकि वे भारतीय डिग्रियों/डिप्लोमाओं को सामान्य मान्यता देना नहीं चाहते। अदन, लंका, फिजी, हांग कांग ने भारतीय डिग्रियों को सामान्यत: मान्यता दी है। मोरिशस, दक्षिण रोडेशिया और टांगानीका प्रवेश के लिये ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अपना रहे हैं। आस्ट्रेलिया, घना, न्यूजीलैंड प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करते हैं। केन्या और यूगाण्डा अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त की गई भारतीय उपाधियों को मान्यता देते हैं यदि वे राष्ट्रमंडलीय विश्वविद्यालय वर्ष-पुस्तक में सम्मिलित होते हैं। भारतीय डिग्रियों वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के साथ अन्य देशों से समान डिग्रियों वाले लोगों की तुलना में भेदभाव नहीं किया जाता। तथापि भारतीय राष्ट्रजनों के साथ भेदभाव किया जाता है।

ब्रिटेन में निम्न स्थिति है :—

इंजीनियरी डिग्रियां—सामान्य मान्यता नहीं दी गई है। किन्तु इंजीनियरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये साधारणत: ब्रिटेन के लन्दन, कैम्ब्रिज, मानचेस्टर आदि विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय डिग्रियां स्वीकार की जाती हैं। इंस्टीट्यूट आफ सिविल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट आफ मेकनिकल इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आदि व्यावसायिक संस्थायें भारतीय इंजीनियरिंग डिग्रियों को अपनी परीक्षा के भाग (ए) और (बी) के लिये पर्याप्त योग्यता नहीं मानती हैं।

मेडीसन—ब्रिटेन की जनरल मेडिकल कांउसिल ने भारत के 21 मेडिकल कालेजों, जिनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं, द्वारा प्रदान की गई एम० बी० बी० एस० डिग्रियों को मान्यता दी है [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3218/64**]। भारत की मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देने का कार्य भारतीय चिकित्सा परिषद् करती है।

सामान्य डिग्रियां--कोई सामान्य मान्यता नहीं दी गई है । कुछ निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये, उदाहरणार्थ स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये प्रवेश के लिये अनेक विश्वविद्यालयों ने उन डिग्रियों की सूची बना रखी है जिनको उन्होंने पिछले समय में मान्यता दी है । कुछ विश्वविद्यालय इन सूचियों को अपने विनियमों में प्रकाशित करते हैं । अन्य विश्वविद्यालय उनको प्रकाशित नहीं करते क्योंकि किसी खास डिग्री को सूची में शामिल करना प्रायः इस तथ्य से निश्चित किया जाता है कि ऐसी डिग्री वाले विद्यार्थी ने प्रार्थना पत्र दिया है और उसे भर्ती किया गया है । दूसरे शब्दों में ये विश्वविद्यालय पहले से यह निश्चित नहीं करते कि अमुक डिग्री को मान्यता दी जायेगी वरन् प्रत्येक मामले में अलग रूप से निश्चय करते हैं । यदि किसी मामले में विचार करने पर कोई नई डिग्री मिली हो और उसे स्वीकार कर लिया गया हो तो आगे के मामलों के लिये वह पूर्वोदाहरण बन जायेगा ।

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों से इस मामले में स्थानीय सरकारों के साथ लिखापढ़ी करने के लिये कहा गया है ।

इस मामले पर अगस्त–सितम्बर, 1964 में कनाडा में हुए तीसरे राष्ट्रमंडलीय शिक्षा सम्मेलन में आगे चर्चा हुई थी परन्तु उस कार्यवाही का विवरण अभी तक नहीं आया ।

बरौनी तेलशोधक कारखाना

1151. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1964 के मध्य से बरौनी तेल शोधक कारखाने में उत्पादन बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). परीक्षणात्मक उत्पादन कार्य 27-7-64 को आरम्भ हुआ और 12-8-64 तक जारी रहा । परीक्षण काल में लगातार उत्पादन नहीं हुआ और एटमोसफेरिक वेकम कार्य बन्द कर दिया गया क्योंकि अभी तक कोकिंग एकक, जिसका उद्देश्य अपरिष्कृत तेल को साफ करना है, स्थापित नहीं किया गया है ।

दिल्ली में पंजाबी का पढ़ाया जाना

1152. **श्री गु० सिं० मुसाफिर :** क्या **शिक्षा** मंत्री 21 अगस्त, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 676 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल बसई दारापुर, नई दिल्ली–15 के बारह से अधिक विद्यार्थियों के माता पिताओं ने 14 मई, 1964 से पहले प्रार्थनापत्रों में लिखित रूप में अपनी सहमति दी थी कि वे अपने बच्चों को 9वीं कक्षा में पंजाबी का विषय लेने की अनुमति देते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित विद्यार्थियों ने पंजाबी की पुस्तकें खरीद ली थीं ;

(ग) क्या उपरोक्त स्कूल में पंजाबी पढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है और इस विषय को समय सारणी में सम्बन्वित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । सरकार को इस की जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ) स्कूल में छटी कक्षा से आठवीं कक्षा तक पंजाबी पढ़ाने की व्यवस्था पहले से ही है । नवीं कक्षा में पंजाबी चालू करने के लिये सेन्ट्रल बोर्ड आफ एजुकेशन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है जिस के लिये स्कूल के अधिकारियों ने पहले ही प्रार्थना पत्र दिया है । बोर्ड की अनुमति प्राप्त हो जाने पर इसकी व्यवस्था की जायेगी ।

शारीरिक शिक्षा कालेज

1153. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लक्ष्मी बाई शारीरिक शिक्षा कालेज जैसे कुछ और अधिक शारीरिक शिक्षा कालेज खोलना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'

1154. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न लोक उपक्रमों को औद्योगिक प्रबन्ध निगम के अधिकारी देने के लिये जो नीति बनाई गई है उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या किसी एक उपक्रम में एक अधिकारी के ठहरने का समय निश्चित किया गया है और यदि हां तो कितना ;

(ग) अपनी नियुक्ति के बाद ऐसे कितने अधिकारी एक उपक्रम में काम कर रहे हैं ; और

(घ) विभिन्न उपक्रमों में लगातार काम कर रहे ऐसे अधिकारियों की क्या संख्या है जिन के मुख्यालय राजधानी में हैं और उन उपक्रमों के क्या नाम हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा औद्योगिक प्रबन्ध पूल के चुने गये अधिकारी, विभिन्न सरकारी उपक्रमों को औद्योगिक प्रबन्ध पूल के सलाहकार बोर्ड द्वारा, संबंधित मंत्रियों की सिफारिशों पर पदों की आवश्यकता और अधिकारियों की अर्हता और अनुभव के आधार पर दिये गये थे ।

(ख) ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग) 92 ।

(घ) 24 । निम्न उपक्रमों के मुख्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित हैं ।

(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ।

(तीन) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ।
(चार) राज्य व्यापार निगम ।
(पांच) इन्डियन रिफाइन्रीज़ लिमिटेड ।
(छ) इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ।
(सात) भारतीय उर्वरक निगम ।
(आठ) खनिज और धातु व्यापार निगम ।

पश्चिमी जोन परिषद की बैठक

1155. **श्री कजरोलकर :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ को महाराष्ट्र से मिलाने और खाद्य संभरण जैसी महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में अगस्त, 1964 को हुई पश्चिम जोन परिषद् की बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : परिषद् के निर्णयों को अन्तिम रूप देने के शीघ्र पश्चात् उसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेगी । गोआ को महाराष्ट्र से मिलाने के प्रश्न पर बैठक में चर्चा नहीं की गई थी ।

अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित स्थान

1156. **श्री कजरोलकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि किसी भी श्रेणी में पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों के लिये कोई स्थान रक्षित नहीं रखे जायेंगे और पदोन्नतियां केवल वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर की जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछड़े वर्ग के नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में पर्याप्त स्थान देने के प्रश्न पर निष्पक्षता से विचार किया जाता है और इस के लिये हमें पिछड़े वर्गों और अन्य कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखना है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि प्रशासन का कार्य अच्छे ढंग से चलता रहे ।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ वैज्ञानिक सहयोग

1157. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य सरकार के साथ दोनों देशों में वैज्ञानिक

और तकनीकी सहयोग के लिये एक नया करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--3219/64]**

यूनेस्को का अन्तर्राष्ट्रीय युवक समारोह

1158. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुरारका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1964 में ग्रेनोबल में यौवनावस्था संबंधी समस्याओं पर यूनिस्को का जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था क्या उसमें भारत सरकार अथवा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रजन आयोग ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो सम्मेलन में भाग न लेने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सम्मेलन में भाग लेने के लिये जो गैर सरकारी व्यक्ति चुने गये थे वे व्यक्तिगत कारणों की वजह से नहीं जा सके और वर्तमान बचत आंदोलन को ध्यान में रखते हुए किसी सरकारी अधिकारी को नहीं भेजा गया था ।

"भूकम्प इंजीनियरिंग स्कूल"

1159. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् रुड़की विश्वविद्यालय में भूकम्प इंजीनियरिंग का स्कूल खोल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सहायता से रुड़की विश्वविद्यालय में भूकम्प इंजीनियरिंग स्कूल स्थापित कर दिया गया है। रुड़की विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने सुझाव दिया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् स्कूल को अपने हाथ में ले ले । मामले पर अभी जांच नहीं की गई है । और निर्णय नहीं किया गया है ।

विशेष पुलिस स्थापना

1160. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और विभिन्न राज्यों में विशेष पुलिस स्थापना में कुल कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) इस स्थापना के स्थानीय कार्यालयों में कितने अधिकारी काम करते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मुख्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय जांच विभाग में कुल 1976 कर्मचारी हैं ।

(ख) केन्द्रीय जांच विभाग के शाखा कार्यालयों में कुल 1295 कर्मचारी हैं ।

उर्वरकों का आयात

1161. **श्री राम हरख यादव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत विदेशी मुद्रा के खर्च को बढ़ाये बिना पूरी तरह तैयार किये गये उर्वरकों के स्थान पर आधे रूप से तैयार किये गये उर्वरक अधिक मात्रा में आयात किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो कहां से ; और

(ग) योजना का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारत में उर्वरकों के निर्माण के लिये लिक्विड एमोनिया, फॉस्फेटिक अम्ल आदि के आयात के लिये कुछ पार्टियों से छ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) लिक्विड एमोनिया के लिये ईरान से, लिक्विड एमोनिया और सुपर फॉस्फेटरिक अम्ल के लिये एक अमरीकन कम्पनी से, जिसका काम पूर्वमध्य में भी है और रॉक फास्फेट और गंधक पर आधारित अर्ध निर्मित उर्वरक के लिये एक अन्य अमरीकन कम्पनी से प्रस्ताव आये हैं । इन प्रस्तावों पर अभी जांच की जा रही है कि क्या ये तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से देश के लिये लाभप्रद हैं ।

दिल्ली के कालिजों में दाखला

1162. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 में कितने विद्यार्थियों ने दिल्ली के कालिजों में दाखले के लिये आवेदन पत्र भेजे थे ;

(ख) उन में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को दाखला दिया गया अथवा दिया जायेगा; और

(ग) चालू वर्ष में दिल्ली में कितने नये कालिज खोले जायेंगे और उनमें से सरकार तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा पृथक-पृथक कितने कालिज खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है। और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) वर्ष 1964–65 में अधिक विद्यार्थियों को दाखला देने के लिये 5 नये कालिज—3 दिल्ली प्रशासन द्वारा और 2 गैर सरकारी न्यास द्वारा—खोले गये हैं।

नाइट्रो फॉस्फेट

1163. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राम्बे में अनुमानतः कितना नाइट्रो फॉस्फेट बनाया जायेगा ; और

(ख) किस मूल्य पर इसके बेचे जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) 330,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष।

(ख) नाइट्रो फॉस्फेट के विक्रय मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

विदेशी मिशन

1164. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 के बाद से कुल कितनी विदेशी मिशनरियों को भारत में रहने और काम करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) इस समय भारत में ऐसी कितनी मिशनरियां काम कर रही हैं ; और

(ग) आसाम, नागालैंड और नेफा पहाड़ियों में काम करने वाली विदेशी मिशनरियों की क्या संख्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). 15 अगस्त, 1947 को और जनवरी, 1964 को भारत में पंजीकृत विदेशी मिशनरियों की संख्या क्रमशः 2271 और 4320 है।

(ग) आसाम, नागालैंड और नेफा में 1–1–1964 को यह संख्या क्रमशः 228, 1 और शून्य है। आसाम की पहाड़ियों में उनकी संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अगरतला बार का ज्ञापन

1165. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको अगरतला बार से दावेदार जनता की कठिनाइयों के बारे में 20 जुलाई, 1964 को दिया गया ज्ञापन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में पुलिस की गश्त

1166. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में रात में पुलिसकी गश्त बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सरकार ने निर्णय किया है कि रात में गश्त बढ़ायी जाये और उसका उपयुक्त ढंग से निरीक्षण किया जाये । इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे :

(1) सेवा गलियों और नौकरों के क्वार्टरों में निरक्षण गश्त लगाना ;

(2) चुनींदा क्षेत्रों में गश्त कम करना ;

(3) वायरलेस गाड़ियों द्वारा गश्त बढ़ाना ;

(4) गश्ती गाड़ियों में तेज रोशनी की व्यवस्था करना ; और

(5) हरेक पैदल गश्ती सिपाही को शक्तिशाली टार्च देना ।

भारतीय आर्थिक सेवा[1]

1167. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आर्थिक सेवा की विभिन्न श्रेणियों में बड़े पैमाने पर पद खाली पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी तक यह सेवा पूरी तरह चालू नहीं हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) और (ख). भारतीय आर्थिक सेवा में 324 स्वीकृत पदों में से 59 स्थान रिक्त हैं । यह स्थान रिक्त इसलिये हैं कि संघ लोक सेवा आयोग ने पदों की संख्या से कम व्यक्तियों की सिफारिश की थी । इसके अरिक्त 37 रिक्त स्थान उन पदाधिकारियों के लिये रक्षित रखे गये हैं जो पहले से इन पदों पर काम कर रहे हैं और जिनको आयोग ने प्राथमिक स्थापना के समय सेवा में शामिल करने योग्य नहीं समझा गया । भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961 के नियम 7(3) के अनुसार ऐसे व्यक्ति अपने-वर्तमान पदों पर बने

[1]Indian Economic Service.

रहेंगे और उनको, यदि भविष्य में रिक्त स्थानों के लिये उपयुक्त समझा गया, तो आवेदन करने और उनको चयन करने का अवसर दिया जायेगा ।

(ग) और (घ). सेवा की प्राथमिक स्थापना लगभग पूर्ण है । संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सेवा की विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । सेवा की चतुर्थ श्रेणी में खुले तौर पर भर्ती करने के लिये प्राथमिक कार्य किया जा रहा है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

1168. श्री ज० ब० सिं० बिष्ट : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने शिफ्ट मिकेनिक और शिफ्ट इंजीनियरों के पदों पर कुछ शिशिक्षु नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो चयन के समय उनको जो शर्तें बताई गई थीं, वही शर्तें उनको शिशिक्षु अवधि समाप्त होने के बाद नहीं दी जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विशेषाधिकार के प्रस्तावों के बारे में
RE. MOTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो विशेषाधिकार प्रस्तावों की सूचनायें मिली हैं और चूंकि उनका विषय व्यक्तिगत तौर पर मुझ से ही सम्बन्धित है इस लिये मैं उन्हें सभा के समक्ष रख रहा हूं । उनका विषय यह है कि इंडियन टाइम्स में मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैंने उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बनने पर एक मकान बना लिया है । दूसरा आरोप यह है कि मैं कुछ उद्योग-पतियों को लिखता रहता हूं कि वह मेरे समाचार पत्र 'दी स्पोक्समैन' में ही विज्ञापन दें । एक आरोप यह भी लगाया गया है कि मैंने काफी धन एकत्र कर लिया है । इंडियन टाईम्स में यह भी कहा गया है कि मैंने निवास-स्थान का एक भाग उस समाचारपत्र को किराये पर दिया हुआ है ।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि यह आरोप ठीक हैं तो मैं अध्यक्ष पीठ पर नहीं रहूंगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रस्तावकों के अतिरिक्त विरोधी पक्षों के अन्य नेतागण मुझे मिलें ताकि मैं सभी तथ्य उनके समक्ष रखूं ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैंने इस प्रस्ताव की सूचना केवल इसलिये दी थी कि इस प्रकार के गन्दे प्रचार से अध्यक्ष महोदय के और इस सभा के सम्मान को धक्का लगता है । इसलिये मैंने यह भी कहा है कि उपर्युक्त समाचारपत्र के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । मैं यह समझता हूं कि विरोधी पक्ष के नेताओं को बुला कर उनके समक्ष तथ्यों का स्पष्टीकरण करने की बजाये

इस प्रकार के आरोप लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये चूंकि ऐसा करना हमारा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अग्रेतर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं सदस्यों के समक्ष सभी तथ्य रखूं ।

श्री हेम बरुआ : जो आरोप लगाये गये हैं उनके लिये सबूत पेश करने की मांग की जानी चाहिये और यदि सबूत नहीं दिये जाते तो दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिये ।

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है । इन आरोपों के बारे में श्री हेम बरुआ को आप को पत्र लिखना चाहिये था । इस प्रकार यह प्रश्न सभा में नहीं उठाया जाना चाहिये था .....

श्री हेम बरुआ : पत्र तो मैं आपको लिख चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उनका उद्देश्य मेरे विरुद्ध कुछ कहने का नहीं है । परन्तु यह संसद सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न है और इसलिये हमें ऐसे विषय में पहले ही न्याय नहीं कर लेना चाहिये । मेरा अनुरोध है कि विरोधी पक्ष के नेता मुझे मिल कर तथ्यों को देखें और फिर उस समाचारपत्र के सम्पादक को बुलाकर उन की बातों को सुनें । उसके बाद जैसा रुख उचित समझें अपनायें ।

Shri Bagri (Hissar) : I feel there is no need of our being apprised of the facts. This Privilege Motion has been given with a view to protect our democratic system from extraneous elements.

Mr Speaker : There is nothing against me as Speaker. Therefore, I feel it is necessary that it should be . . . (**अंतर्बाधायें**).

श्री कपूर सिंह : मैं समझता हूं कि जो तरीका आपने बताया है वह सही है ।

Shri K. N. Tiwary (Bagha) : On a point of Order, Sir, It has became almost a fashion now a days to make allegations against the big persons in authority. But will it be proper to investigate such charges especially when the newspapers making such allegations have no standing.

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे ही हित में है कि इस विषय में तथ्यों को देखा जाये । मैं अपने मित्रों और सहानुभूति रखने वालों से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे साथ बैठ कर तथ्यों का निरीक्षण करें ।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यदि हम ऐसे निस्सार आरोपों की ओर ध्यान देने लगेंगे तो यह बात देश के और इस संसद् के हित में नहीं होगी । (**अंतर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस विषय में नियमित तौर पर प्रस्ताव की सूचना दी गई है और यह विषय व्यक्तिगत तौर पर मेरे बारे में ही है और इसमें इस सभा के सम्मान का प्रश्न है इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य मेरे सुझाव से सहमत हों ।

श्री शिवाजीराज शं० देशमुख (परमणी) : चूंकि यह आरोप लगाया गया है कि आप ने उपाध्यक्ष का पद संभालने के बाद पैसा जमा किया है इसलिये मैं समझता हूं कि यह आरोप उपाध्यक्ष होने के नाते आपके आचरण पर लगाया गया है । (**अंतर्बाधायें**)

श्री भागवत झा आजाद : (भागलपुर): चूंकि इंडियन टाईम्स कोई महत्त्वपूर्ण समाचार पत्र नहीं है इसलिये यदि आप इस मामले की जांच करवाना चाहते हैं तो यह एक बुरा उदाहरण कायम करने वाली बात होगी। ऐसे समाचार पत्रों का उद्देश्य केवल प्रसिद्धि प्राप्त करनी होती है और यदि आज इन की बातों की ओर ध्यान दिया जाता है तो भविष्य में इसी प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये कोई जो चाहे प्रकाशित कर सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस की ओर ध्यान ही न दिया जाय। यह विशेषाधिकार का मामला ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिये यह कहना कि किसी माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव की सूचना देकर अच्छा नहीं किया उचित बात नहीं होगी। माननीय सदस्य को यह देखना चाहिये कि मेरे लिये यह कितनी कठिन स्थिति है। मुझे यह सलाह दी गई थी कि मैं प्रधान मंत्री से बात करूं परन्तु मैं ने यही उचित समझा कि इस मामले को सभा के समक्ष रखूं। मेरा अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य मेरे पास आना चाहें वह मेरे पास आकर इस विषय में तथ्यों को देखें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : (मंदसौर): हम आप के पास आने के लिये तैयार हैं परन्तु हम चाहते हैं स्वयं प्रधान मंत्री या गृह मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि भी वहां हमारे साथ उपस्थित हो।

श्री हेम बरुआ : इस प्रकार की निस्सार बातों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को अखबारी कागज़ का कोटा किस तरह मिल पाता है ? हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Allegations against Ministers have no connection with this matter. Your position is just like our President. It ought to be made clear that nothing can be published about your person and about what we are doing here, whatever may be the character of that.

Mr. Speaker : But since this has been published and the matter has been brought to this level in some form it would not be proper if it is left at that. I feel this matter should be clarified.

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : I think you have given your opinion and we may proceed accordingly, but there is ample truth in what Shri Lohia has said. The Speaker occupied a special position. If somebody tries to make insinuations against him that would malign the prestige of this Sovereign House and the country at large.

Secondly, we must keep in view the standing of the newspaper in which such allegations are published. We cannot take note of what is published by an unimportant newspaper. Otherwise we will be in a difficult position.

If the person guilty of this is to be punished there is law for that. I do not think it is proper to raise this matter in the form of a privilege motion.

You may call certain hon. Members and place the facts of the case before them if you so like. But for us what you have said is sufficient that the allegations in question are baseless.

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) You will kindly acknowledge the feelings by all quarters of the House that the publication of allegations in question has injured their feelings.

Mr. Speaker : I am grateful to the House for that. I did not think it proper to file a suit against such an insignificant paper, so I brought the matter to the notice of the House. I want that the leaders of the opposition parties may sit with me, see the facts for themselves and then explain their impressions to the House.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मध्य प्रदेश के शरणार्थी कैम्पों में बच्चों की मृत्यु

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): मैं पुनर्वास मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उमन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें, अर्थात् :

"मई और अगस्त, 1664 के बीच मध्य प्रदेश में शरणार्थि-शिविरों में 114 बच्चों की मत्यु ।"

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : नये विस्थापितों के लिये जो 16 शिविर खोले गये हैं जिनका प्रबन्ध मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, उन में से 3 शिविर जिला वीतुल में हैं । इन शिविरों में 13 अप्रैल, तथा 7 जून, 1964 के बीच 2,509 परिवार अथवा, 10,621 व्यक्ति बसाये गये थे । इन परिवारों को माना शिविर से वीतुल शिविरों में भेजा गया था, क्योंकि माना शिविर में ये टेन्टों में रहते थे और वीतुल शिविरों में इन्हें बाशा प्रकार की झोपड़ियां दी गई थीं । चिकित्सा के लिये भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई थी । राज्य सरकार को कि चिकित्सा सुविधिाओं के प्रबन्ध के लिये 2,52,720 रु०की धन राशि मंजूर की गई थी, इस में आधार हस्पताल (बेस हस्पताल) और शिविर की डिस्पैन्सरियां भी सम्मिलित हैं ।

जब जिला क्लैक्टर को यह पता चला कि मई के मास में शिविरों में बच्चों की मत्यु सामान्य स्तर से अधिक हो रही थी, तो उन्होंने स्वास्थ्य सेवा निदेशक, मध्य प्रदेश को परिस्थिति के बारे में सूचित किया और स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने बच्चों की बीमारियों के एक विशेषज्ञ को शिविर में निरीक्षण के लिये नियुक्त किया । विशेषज्ञ ने जून के आरम्भ में निरीक्षण किया और पाया कि बच्चों में सामान्य छुआछुत की बीमारी गर्मी के मौसम में अधिक हो गई थी, जिसका मुख्य कारण यह था कि पहले से ही उनका पोषण उचित नहीं हो रहा था और इसके साथ साथ अस्वास्थ्य स्वाभाव तथा माता पिता द्वारा चिकित्सा परामर्श की उपेक्षा करना था । उसने यह भी पता लगाया कि अधिक मत्यु इस कारण भी हुई कि अधिक मामलों में बच्चों को इधर-उधर की औषधियां शिविरों में दी जाती रहीं और उन्हें हस्पताल में इस अवस्था में लाया जाता था जब कि उन्हें बचाना कठिन तथा असंभव होता था । कई वार बीमारों को अस्पताल लाया ही नहीं जाता था । उदाहरणार्थ एक शिविर में 60 मत्यु में से केवल 17 अस्पताल में हुई । यह संभव हो सकता है कि बहुत से मामलों में उन के माता पिता ने उनकी गम्भीर दशा का अनुभव न किया और चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श उस समय किये गये जब कि उन को बचाना कठिन था । मई तथा अगस्त के

चार महीनों में इन शिविरों में 114 बच्चों की मृत्यु हुई । मृत्यु के मुख्य कारण, दस्त आना शरीर में जल सूख जाना, अक्समात अधिक ज्वर हो जाना तथा ब्रांकों न्योमोनिया थे। इस सम्बन्ध में जा प्रयास स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने उठाये उन के फलस्वरूप मृत्यु जो कि मई तथा जून के मासों में अधिक थी आगामी मासों में जनसमुदाय के लिये सामान्य स्तर पर आ गई । इस सम्बन्ध में जो उपाय किये गये, उनमें स्वच्छता के लिये आग्रह किया गया, अधिक प्रचार किया गया ताकि जनता अपने बच्चों को शिविर हस्पताल में ले जाये, मक्खियां पालने के लिये कड़ी कार्यवाही तथा अस्वस्थ तथा निर्बल बच्चों के विषय में विशेष ध्यान दिया गया । यह प्रबन्ध प्रभावी सिद्ध हुये ।

श्री हेम बरुआ : जैसा कि राज्य कृषि मंत्री ने राज्य विधान सभा में बताया था क्या वह सही है कि इन बच्चों की मृत्यु सफाई न होने के कारण हुई ?

श्री त्यागी : माना शिविर में शरणार्थियों की अधिक भीड़ होने के कारण उन्हें वहां से भेजा गया था । पहले हमें आशा थी कि दो विशेष गाड़ियां ही आयेंगी परन्तु वास्तव में 4 विशेष गाड़ियां आने लगी जिस के कारण प्रबन्ध व्यवस्था ठीक न रह सकी । इन बच्चों की मृत्यु सफाई न होने के कारण न हो कर इस कारण हुई कि प्रव्रजकों की आदात व स्थिति भिन्न थीं । कै आने से एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी परन्तु उसे अस्पताल ले जाने का उन के पास समय ही नहीं था ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Did these deaths occur due to lack of doctors.

Shri Tyagi : The doctors were there but the migrants preferred the treatment of quacks. Hospitals are unaware of certain deaths.

There was one dispensary in each camp and there were doctors in the dispensaries.

Shri Yashpal Singh (Kairava) : Did these migrants bring germs of disease from their original homes or the sanitary arrangements in camps were responsible for them ?

Shri Tyagi : If arrangements are made for one thousand people and ten thousand arrive instead naturally those arrangements will not be sufficient. Moreover the conditions under which these children were brought were such that it was difficult for them to survive in the new climatic conditions.

Shri Bagri : As the hon. Minister said arrangements were not made for migrants who came in such large numbers. That way Government should be prepared to take upon itself the responsibility of such deaths.

Shri Tyagi : Deaths did not occur due to lack of arrangements. They in fact occurred due to climatic and other conditions.

श्री दाजी (इन्दौर): क्या यह सच है कि वहां हैजा-निरोधक औषधियां नहीं थीं, डाक्टर कम थे और शरणार्थियों के लिये निवास स्थान का प्रबन्ध ठीक नहीं था ?

Shri Tyagi : Those children did not die due to cholera.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : Was milk and other things available there to save the children from deaths ?

Shri Tyagi : I have already explained that most of the deaths occurred in barracks and hospitals were not even reported of them.

Most of the children who died were babies.

Shri Y. S. Chowdhary (Mahandragarh) : Is the Government prepared to hold an inquiry into this so that responsibility could be fixed on somebody ?

Shri Tyagi : A sum of Rs. 2,52,720 were granted to the Madhya Pradesh Government for building hospitals there which could not be constructed in such a short span of time. But provisional medical arrangements were made there. The doctors were present and medicines were also available.

Mr. Speaker : The hon. Members want that an enquiry be held into the matter and responsibility may be fixed on somebody.

Shri Tyagi :I have to tell that all these arrangements are bing done through State Governments. If any further information is required can collect the same from them.

So far as the question of holding an enquiry is concerned I can ask the State Government to hold an enquiry and submit a report. The Centre cannot directly interfere into the affairs of the State.

श्री रंगा : शरणार्थियों की देख रेख का काम हम ने केन्द्र को सौंपा था और उन पर व्यय करने के लिये धन राशि भी उपलब्ध की थी जो इस प्रयोजनार्थ उस ने राज्य सरकार को दी। हमारा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के सहयोग से इस मामले की जांच करे।

श्रीमती रेणुचक्रवर्त्ती : एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना कर रहे हैं। पुनर्वास का काम सदैव केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय के हाथों में रहा है भले ही यह मंत्रालय राज्य सरकार की सहायता से अपना काम सम्पन्न करता हो । माननीय मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह इस का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर डाले ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया शिविरों में शरणार्थियों अप्रत्याशित संख्या में पहुंच जाने से प्रबन्ध व्यवस्था पर्याप्त नहीं रही, यह देखना केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय का काम है कि कितने शरणार्थी वहां पहुंचते हैं और उन के लिये उचित प्रबन्ध किया जाता है । इसलिये इस मामले की जांच करने पर मंत्री महोदय को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर): माननीय मंत्री के कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो 114 बच्चों की मत्यु हुई है इसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार है परन्तु पुनर्वास का विषय केन्द्रीय सरकार का है न कि राज्य सरकार का । इसलिये यह जिम्मेदारी केन्द्र की है कि वह इन बच्चों की मृत्यु के लिये दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

श्री हेम बरूआ (गौहाटी): केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री कहते हैं कि शरणार्थियों के पुनर्वास का दायित्व राज्य सरकार का है जब कि राज्य सरकार का कहना है कि यह दायित्व केन्द्र का है । इसलिये इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

श्री त्यागी : मुझे गलत समझाया गया है । मैं ने यह नहीं कहा कि इस के लिये केन्द्र का उत्तर-दायित्व नहीं है । यह उत्तरदायित्व केन्द्र का ही है परन्तु शिविरों का प्रबन्ध राज्यों के द्वारा ही किया जाता है । वहां प्रबन्ध व्यवस्था राज्य रसरकारें ही करती । उस के लिये धन भी केन्द्र द्वारा उपलब्ध किया जाता है ।

ज्योंहि इन मौतों की खबर मिली स्थानीय अधिकारियों द्वारा बच्चों की बीमारियों के विशेषज्ञ गांधी मैडिकल कालेज इंदौर के डा० पोट्टावाला को जांच के लिये नियुक्त किया गया और उन की सिफारिशों को कार्य रूप दिया गया । अब यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मामले की अग्रेतर जांच होनी चाहिये तो मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि वह एक अधिकारी से जांच करवायें । मैं अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना नहीं करता और न ही उस के लिये राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डालता हूं । मैं आश्वासन देता हूं कि मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि वह अग्रेतर जांच करवाये ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1961—62 के प्रमाणित लेखे, उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित ।

(2) उपरोक्त लेखे को टेबल पर रखने में विलम्ब होने के कारण बताने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3212/64]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): मैं श्री हाथी की ओर से (3) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 28 मार्च, 1964 की अधिसूचना संख्या ए० ओ० 1025 में प्रकाशित मैसूर उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, 1964

(दो) दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3233 में प्रकाशित कलकत्ता उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, 1964

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3213/64]

केन्द्रीय भाण्डागार निगम (दूसरा संशोधन) नियम

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं श्री दा० रा० चह्वाण की ओर से

(4) भाण्डागार नियम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 5 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1266 में प्रकाशित केन्द्रीय भाण्डागार नियम (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्य एल० टी०—3214/64]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९१४

APPROPRIATION (No. 5) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णामाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1964–65 सेवाओं के लिये भारत को सँचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1964–65 में सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री ति० त० कृष्णामाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE* : PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO THE STATE OF KERALA

अध्यक्ष महोदय : श्री हाथी द्वारा 22 सितम्बर, 1964 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा, अर्थात् :—

> "कि यह सभा 10 सितम्बर, 1964 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल राज्य के बारे में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

इस संकल्प पर 1 घंटा और 40 मिनट बोला जा चुका है और भी 3 घंटे 40 मिनट शेष हैं । श्री खाडिलकर अपना भाषण जारी रखें ।

श्री खाडिलकर (खेड): केरल में संवैधानिक असफलताओं के कारण पिछले 15 वर्षों में हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उस को ध्यान में रखते हुए वहां की असफलता के लिए एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दोषी ठहराने के बजाय यह विचार करने का समय आ गया है कि क्या राज्य स्तर पर वर्तमान ढ़ांचे में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । और क्या वर्तमान स्थिति की वास्तविकताओं का मुकाबला करने के लिये प्रक्रियाआदि के सम्बन्ध में देश में अपनाये गये संसदीय ढांचे में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है । इन्हीं बातों पर विचार करने के लिये हम इस संकल्प पर विचार कर रहे हैं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, सभा में माननीय मंत्री अथवा राज्य मंत्री की उपस्थिति अनिवार्य है । यदि मंत्री महोदय हमारे द्वारा उठाई गई बातों को नहीं सुनेंगे तो इस पर चर्चा करना ही बेकार है क्योंकि मंत्री महोदय हमारी बातों पर ध्यान दिये बिना ही दोनों सभाओं में पहले से तैयार किया हुआ एक ही उत्तर दे देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर उन का रहना आवश्यक है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : राज्य मंत्री महोदय अभी यहीं पर थे वही इस संकल्प के प्रभारी हैं । वह आते ही होंगे ।

श्री खाडिलकर : यह कोई दलगत प्रश्न नहीं समस्या है । अतः सभी वर्गों के सदस्यों को इस पर व्यापक दृष्टिकोण अपना कर विचार करना चाहिये । हमें अपने उत्तरदायित्वों तथा वर्तमान परिस्थितियों को सामने रख कर कोई ऐसा हल निकालना होगा जो सब के लिये मान्य हो । मैं श्री नाथ-पाई की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इस पर सरकार को तथा सभा के प्रत्येक सदस्य को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा क्योंकि यह केवल केरल की असफलताओं का ही प्रश्न नहीं है वरन् इससे भी महत्वपूर्ण कुछ और है ।

यह सर्व विदित है कि केरल में छः महीनों के बाद चुनाव होंगे । वहां फिर वही स्थिति पैदा हो जायेगी जो पहले थी, क्योंकि राज्य के तीनों दल एक दूसरे के विरुद्ध हैं । और वहां जातियों तथा

[श्री खाडिलकर]

संप्रदायों का भेदभाव इतना गंभीर हो गया है कि उन में अब समझौते की अथवा एकमत हो कर कार्य करने की कोई संभावना नहीं रह गई है ।

यह बात स्पष्ट है कि चुनावों के समय विभिन्न दलों में यदि किसी प्रकार का समझौता हुआ तो यह समझौता अवसरवादी होगा । यह स्थायी रूप से राज्य में सुचारु शासन चलाने में सफल नहीं हो सकता है । अतः हमें इस समय यह सोचना है कि केरल में किस प्रकार स्थायी रूप से स्थिरता लाई जा सकती है जिस से वहां का शासन सुचारु रूप से चलता रहे और इस प्रकार की असफलताओं की पुनरावृत्ति न हो । आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि केरल में छः महीनों के बाद चुनाव हो जाने पर किस प्रकार की स्थिति पैदा हो जायेगी । अतः हमें वहां पर स्थिति पर काबू पाने के लिये अभी से थोड़ा बहुत काम कर के पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिय ताकि उस समय कोई असुविधा अनुभव न हो ।

यदि केरल में एक अच्छा वातावरण पैदा करना है तो वहां की विभिन्न शक्तियों को प्रजातंत्रात्मक ढंग से एक करने का प्रयत्न करना होगा । आज यह बात प्रायः सभी मानते हैं । प्रजातंत्रात्मक ढंग से ही शासन अच्छी तरह चल सकता है । इस कार्य के लिये मंत्रिमंडल स्तर पर सामूहिक रूप से विचार किया जाना चाहिये । प्रत्येक मंत्री को इस मामले पर विचार करने के लिये एक समिति बना लेनी चाहिये तथा प्रत्येक बहुमत-निर्णय सामूहिक विचारधारा पर आधारित होना चाहिये ।

केरल में छः महीने बाद कायम की जाने वाली सरकार का स्वरूप हमें अभी से निर्मित करना चाहिये । इस कार्य के लिये मेरा सुझाव है कि हमें, व्यापक राष्ट्रीय जनमत के ढांचे में, जिस का प्रतिनिधित्व कांग्रेस दल करता है, सभी स्तरों पर और सभी दलों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये और विशेषतः मंत्रियों को अपनी समितियों के समक्ष, जहां निर्णय किये जाते हैं, उत्तरदायी बनाया जाये ताकि प्रत्येक स्तर पर निर्णय करने में प्रतिपक्षी दलों का हाथ हो और उस की पवित्रता को चुनौती न दी जा सके ।

मंत्री महोदय से तथा सरकार से मेरा अनुरोध है कि यह समय बहुत नाजुक है । अपने महान नेता की मत्यु के बाद हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं । हमें इस समय सहयोग और समझौते की भावना से विकास के कार्यों के लिये कार्य करना चाहिये ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मैं अपने 17 वर्षों के अनुभव से कह सकता हूं कि यहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस ने राष्ट्रीय हित के लिये स्वेच्छा से अपने पद का त्याग किया और जिस में सत्ता की भूख न हो । यदि कसी को किन्हीं कारणों से पदत्याग करना भी पड़ता है तो वह जनता में फूट के बीज बोने का प्रयत्न करता है । यह एक राष्ट्र के लिये बहुत घातक बात है । यदि हम वास्तव में देश में तथा केरल में सुचारु रूप से शासन चलाना चाहते हैं तो हमें सत्ता की भूख की भावना का त्याग करना होगा और सब को मिल कर निःस्वार्थ भावना से राष्ट्र निर्माण का कार्य करना होगा ।

मैं कुछ लोगों के इस विचार से बिलकुल असहमत हूं कि केरल में चुनाव न कहाये जायें । चुनावों के बाद वहां एकता बनाये रखने के लिये हमें कुछ रचनात्मक कार्य करना होगा अन्यथा समस्या हल नहीं हो पायेगी ।

हमें इस सम्बन्ध में जनता की राय तथा प्रतिक्रिया मालूम कर लेनी चाहिये और उस के अनुसार कोई ठोस कदम उठाना चहिये ताकि जनता यह न समझे कि सरकार उस के कल्याण के लिये कुछ नहीं कर रही है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : यह सराहनीय बात है कि मेरे माननीय मित्र श्री खाडिलकर ने सरकार, सभा तथा विभिन्न दलों द्वारा इस बात पर ध्यान पूर्वक विचार करने पर जोर दिया है कि केरल में नई सरकार का स्वरूप किस प्रकार का होगा। किन्तु उन्होंने जो सुझाव दिये हैं वे अधिकांश लोगों को मान्य नहीं होंगे जिनमें मैं भी शामिल हूं ।

यह तीसरा अवसर है जब कि केरल में बहुमत शासन द्वारा संसदीय प्रजातंत्र की असफलता को स्वीकार करना पड़ा है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि आज हमें ध्यान पूर्वक विचार करना कि सत्तारूढ़ दल संविधान के उपबन्धों का देश में, विशेषतः केरल में, किस प्रकार उपयोग कर रहा है ।

श्री हरि रिष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजी---अब गणपूर्ति हो गई है ।

मुझे माननीय सदस्यों से कुछ कहना है । यह शोभनीय बात नहीं है कि माननीय सदस्यों को गणपूर्ति के लिये बुलाने के लिए दिन में चार-पांच बार गणपूर्ति घंटी बजानी पड़ती है । प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह गणपूर्ति बनाये रखने के लिये सभा में बैठने का प्रयत्न करे। कल जब गणपूर्ति के लिए घंटी बज रही थी मैंने सदस्यों को देखने के लिये चक्कर लगाया तो मैंने देखा कि समितियों का कार्य चल रहा था । घंटी का स्वर सुनकर कोई व्यक्ति गणपूर्ति करने के लिये सभा में नहीं आया । बार बार घंटी का बजाना अच्छी बात नहीं है । सदस्य गणपूर्ति करने के लिये आते हैं और फिर सभा को छोड़ कर चले जाते हैं ।

श्री वारियर : आजकल माननीय सदस्य घंटी सुनने पर पूछते हैं कि यह गणपूर्ति की घंटी है या विभाजन की । यदि यह गणपूर्ति के लिये होती है तो वे सभा में नहीं जाते हैं । वे केवल मत विभाजन के लिये सभा में जाते हैं ।

श्री खाडिलकर : यहां ऐसी प्रथा है कि चाय के समय में माननीय सदस्य गणपूर्ति का प्रश्न न उठायें ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह प्रथा अब नहीं रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया था । मैं यह भी चाहता था कि खाने के लिये कुछ समय सभा की कार्यवाई बन्द रहे। श्री रंगा अपना भाषण जारी रखें ।

श्री रंगा (चित्तुर) : केरल में सरकार की असफलताओं के लिये कांग्रेस दल ही सदा उत्तरदायी रहा है । कांग्रेस में वह देश भक्ति नहीं रह गई है जो स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करने वाले कांग्रेसियों में थी । केरल में कांग्रेस की नीति सदा अन्य दलों को कुचलने की रही है । मिली जुली सरकार के बन जाने पर भी कांग्रेस ने कभी भी दूसरे दल वालों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया । यही कारण है कि वह वहां पर अभी तक स्थायी सरकार नहीं बना पाई है ।

कांग्रस ने 1960 में चुनावों के समय बहुमत प्राप्त करने के लिये सभी दलों से सहयोग मांगा । बाद में मिली जुली सरकरकार बन जाने पर फूट के बीज बोने आरम्भ कर दिये । जिस का ज्वलंत उदाहरण यह है कि वहां के मुख्य मंत्री को जो प्रजा समाजवादी थे, पंजाब का राज्य पाल बना दिया

[[श्री रंगा]

गया। इस प्रकार की बातें करना अप्रजातंत्रीय तथा गांधी जी के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। जब कि दूसरे राज्यों में अल्पसंख्यक दलों के प्रति बहुसंख्यक दल द्वारा थोड़ी बहुत मात्रा में सहिष्णुता दिखाई जाती है, केरल राज्य में कुछ समय के बाद अन्य दलों के प्रति बहुसंख्यक दल द्वारा यह सहिष्णुता दिखाना असंभव हो जाता है। इसी कारण दल के अन्दर ही अल्पसंख्यक दल के नेता को मंत्रिपद से त्यागपत्र देना पड़ा है। इस प्रकार की नीति अपनाना कांग्रेस दल को शोभा नहीं देता है।

केरल राज्य के भूतपूर्व मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों के प्रति भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आये, जो भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आदेशानुसार जांच के लिये उन के पास भेज दिये गये। अन्य मामलों की भांति इन के बारे में भी कोई जांच नहीं की गई। इस से जनता का विश्वास कांग्रेस में से जाता है। इन्हीं के परिणामस्वरूप राज्य के मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस का परिणाम आज हमारे सामने है।

केरल राज्य में ऐसे भी अवसर आये जब कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नही था, किन्तु फिर भी राज्यपाल ने कांग्रेह दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिये निमंत्रिण दिया। मंत्रिमंडल बनाने के बाद उन्होंने कुछ और निर्दलीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त कर के अपने दल में शामिल कर लिया, जिस से वे बहुमत प्राप्त करने में सफल हो गये। यह तरीका गलत तथा नैतिकता और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

अब समय है जब कि कांग्रेस सरकार को यह तय करना चाहिये कि वहां पर किस प्रकार की सरकार बनाई जाये क्योंकि आज तक की सभी सकरकारें वहां पर असफल रही हैं। मेरे माननीय मित्र श्री खाडिलकर ने केरल में जिस प्रकार की सरकार बनाने का सुझाव दिया है वह व्यावहारिक नहीं है। मेरा अपना सुझाव है कि वहां पर स्विटजरलैंड की तरह का प्रजातंत्रीय ढांचा स्थापित करने का प्रयोग किया जाये। इस प्रणाली में किसी भी रजनैतिक दल को भंग नहीं किया जाता है। सारे दल स्वतन्त्रता-पूर्वक कार्य करते हैं। वे लोगों के पास जा कर उन से यथथानुपात प्रतिनिधित्व के आधार पर मत प्राप्त

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

करते हैं। इस में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। केरल में, जहां पर कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता, यथानुपात प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रयोग के रूप में अपनायी जानी चाहिये, वहां के विभिन्न दलों को अधिकाधिक नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में यथा संभव समझौता करने का प्रयत्न करना चाहिये था सभी मामलों का निर्णय दो तिहाई बहुमत से किया जाना चाहिये।

कांग्रेस दल के सदस्यों का यह कहना गलत है कि स्वतन्त्र पार्टी वाले योजना का विरोध करते हैं। हम योजना आयोग द्वारा अपनाई जाने वालीं अनेक गलत नीतियों की आलोचना अवश्य करते हैं किन्तु योजना की नहीं।

कुछ लोगों को यह देख कर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस में अनेक कमियां तथा गलत नीतियों के होते हुए भी अधिकांश जनता उसी को अपना मत देती है। इस का मुख्य कारण यह है कि लोग महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के नाम से कांग्रेस को अपना मत देते हैं। भारत की जनता दीर्घकाल से अपने शासक दल का ही समर्थन करने की अभ्यस्त हो गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस बार केरल में स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान करने का अवसर दिया जाये और स्विटरजरलैंड की तरह की सरकार कायम की जाये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को जनता के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत करना चास्यि कि वे सर्वत्र शासन करने के इच्छुक नहीं हैं। और वे अन्य लोगों को भी सत्ता में भागीदार बनाने के लिये तैयार हैं।

श्री केप्पन (मुवातुपुजा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। केरल में जो कुछ हुआ है वह बहुत दिल तोड़ने वाली कहानी है। जिस प्रकार से वहां मंत्रिमंडल को भंग किया गया वह बहुत ही खेदजनक है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का अधिकार है परन्तु फिर भी मेरा यह निवेदन है कि हमें इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्ण ढ़ंग से विचार करना चाहिये। श्री खाडिलकर का कहना है कि केरल में लोकतंत्रीय सरकार असम्भव है और उनका सुझाव है कि केरल का विभाजन करके उसे मैसूर और मद्रास में मिला दिया जाना चाहिये। यह बहुत ही गलत बात है।

एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि केरल के लोग काफी शिक्षित, सुसंस्कृत तथा राजनीतिक चेतना से परिपूर्ण हैं कोई उन्हें पशुओं की तरह तो अपने पीछे लगा नहीं सकता।

1957 के चुनावों के पश्चात् जब साम्यवादी दल सत्तारूढ़ हुआ, तो काफी आशायें लगाय गयी थी। साम्यवादियों ने हमेशा, गरीब, शोषित वर्ग का पक्ष लेने का दम भरा, परन्तु शक्ति हाथ में आते ही उन्हों ने शक्ति का प्रयोग कर के अपने दल के लोगों को सभी जगह भर दिया। दशा यह हुई कि देश में कोई विधि व्यवस्था ही न रही। 2½ वर्ष यह तमाशा चलता रहा और बाद में एक व्यक्ति के प्रयत्तनों ने यह तमाशा समाप्त किया। यह पिछला मंत्रिमंडल काफी समय तक सत्तारूढ़ रहा है और राज्य की समस्त सच्ची प्रजातंत्रीय शक्तियों का इसे समर्थन प्राप्त था। यद्यपि यह सच है कि मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे। परन्तु यह बात तो किसी ने भी नहीं कही कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं की जायेगी मेरे विचार में इस विषय में इस से अधिक उत्तेजना का कोई काम नही। इस जांच से किसी को भी कोई संकोच नहीं है।

चावल की कमी की भी बात कही गयी है। इस में कोई सन्देह नहीं कि केरल में चावल की कमी है। मूंह मांगा दाम दे कर भी आप को चावल नहीं मिलता। इस चावल की कमी के कारण केरल की जनता को अपार कष्ट हो रहा है। चावल केरल की जनता का मुख्य खाद्य है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब जब कि राष्ट्रपति ने केरल के प्रशासन का कार्यभार सम्भाल लिया है, भारत सरकार को तत्काल इस दिशा में कार्यवाही करनी चाहिये। राज्य को पर्याप्त मात्रा में चावल मिलना चाहिये। ताकि उन्हें कष्टों से छुटकारा मिल सके। तटीय क्षेत्रों में अधिकतर मजदूर लोग रहते हैं। वर्षा के कारण लोग मजदूरी करने नहीं जा सके। और उन्हें खाद्यान्न खरीदने के लिये पैसा भी नहीं मिल सका अतः इस समयस्या की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री नाथपाई (राजापुर) : कल ही हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था कि भारत में शत प्रतिशत लोकतन्त्र चल रहा है। परन्तु केरल में राष्ट्रपति राज्य की उद्घोषणा के लिए लोक सभा का अनुमोदन प्राप्त करने का संकल्प जो हमारे समक्ष है, हमें यह याद दिलाता है कि वर्तमान सरकार अनुभव से कुछ सीखने में नितान्त असमर्थ है। जब तक इसे पूरी शक्ति से न हटाया जाय वह हटती ही नहीं। मेरा निवेदन है कि लोकतन्त्र की भावना तब ही पनप सकती है यदि बहुमत नृशंस रूप धारण न कर ले। जो कुछ केरल, उड़ीसा तथा काश्मीर में हुआ है उस का कारण बहुमत वालों की गलत नीति है। इधर अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री नन्दा कांग्रेस की लोकतंत्रीय भावनाओं की व्यवस्था कर रहे थे और उधर केरल में हालात अपना रूप धारण कर रहे थे। जो भी स्थिति केरल में

[श्री नाथ पाई]

पैदा हो रही है, उस के लिये कांग्रेस ही उत्तरदायी है। जो भी घटनायें वहां घटी हैं वे सत्तारूढ़ दल को चेतावनी देती है कि यह अब साम्प्रदायिक और जातिगत आधारों को ले कर अधिक देर तक लोगों पर अपना शासन नहीं कर सकेगी।

गत वर्षों की घटनाओं का अध्ययन यही बताता है कि कांग्रेस ने केरल में भी अपने आदर्शों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई। किसी आदर्श को समक्ष रख कर तो उन्हों ने कभी राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य किया ही नहीं। उस का तो हमेशा यही लक्ष्य रहा है कि किसी भी ढंग से उसे विधान सभा में बहुमत प्राप्त हो जाय। और इसी लक्ष्य से ही वह वहां जोड़ तोड़ करती रही है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस बात पर विचार करे कि परस्पर विरोधी तत्वों को एक साथ लेकर वह किस प्रकार केरल की समस्या को सुलझा सकते हैं। कांग्रेस को साहस के साथ जनता के सामने आ कर बहुमत प्राप्त करने का यत्न करना चाहिये।

श्री खाडिलकर भी इस सदन में बड़ी अजीब बातें करते रहे हैं जिन के परिणाम काफी भयंकर हो सकते हैं। सदन को उन के प्रचार के बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। पदासीन दल उन परम्पराओं और उस स्तर को कायम नहीं रख पाई जो कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में रखा जाना चाहिये। अब मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वह बतायें कि संविहित निकाय, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री यू० एन० ढ़ेबर, किस हैसियत से हाल ही में केरल का दौरा कर रहे हैं। क्या वह दल के लिए कार्य नहीं कर रहे। मेरे विनम्र मत में यह लोकतंत्रीय तरीके का कोई अच्छा उदाहरण नहीं कहा जा सकता। मैं प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से लोगों का लोकतन्त्र में विश्वास डोल जायेगा। इस संदर्भ में एक बात हमें स्मरण रखनी चाहिये कि लोकतन्त्र में गोली और लाठी से सरकार नहीं बदली जाती, इस के लिये लोगों के दिल बदलने होते हैं। तानाशाही से इस में सफलता प्राप्त नहीं होती।

सारी स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि केरल, न केवल केरल को अथवा सत्तारूढ़ दल को प्रत्युत समस्त देश और सभी दलों के लिये एक चुनौती है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि केरल में ही नहीं सारे भारत में भी केवल वही दल अन्ततोगत्वा सफल हो सकता है जिस में साहस हो, दूरदर्शिता हो, और होने वाले तात्कालिक चुनाव लाभों को देश के हित में बलिदान कर सके। हम भले ही चुनावों में हार जायें, परन्तु इस बात का तो पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि लोकतन्त्र कायम रहे। यह लाभ तो सब के हित की बात है। सब को इस से लाभ है।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): The situation that has arisen in Kerala is a blot in the hisotry of Democracy and no Member, whatever be his party or affiliations, is pleased over that development.

It was said that P. S. P. people had joined Congress Organisation in pursuance of Bhubaneswar Resolution. But it is regrettable that Shri Asoka Mehta and others, instead of cleansing the Congress have became one with that Party. The situation is worsening in almost every State. The Government in Rajasthan was formed by including one Independent Member therein. When Shri Nanda started a campaign against corruption, the Congressmen in order to cover up their malpractices raised the slogan of unity and gave congress tickets to the people who were charged with corruption. At Alwar a man was said to have been arrested as a result of anti-corruption campaign started by

Shri Nanda but he was released on bail of Rs. Twenty thousand. These are in fact the blows being struck at the foundation of democracy.

I had written a letter to our ex-prime Minister to the effect that there ought to be some code of conduct for members of parties so that they may not be able to change their party affiliations during the period between two elections and also that the practice of accepting contributions campaign should be stopped. But he expressed his inability in the matter. Then there is the question of fixing some limit on the holding of properties unless that limit is fixed there cannot be any limit on personal incomes.

The situation of instability that has been created in Kerala will not remain confined to that State alone. It will spread in other States and probably in centre also. If this is not checked in time it will take a very serious shape. There is no alternative in the Government except to introduce President's Rule in Kerala. But serious thought must be given to the emerging multi-party System which will imperil the national interests ultimately.

In Kerala such a situation has been created by 15 Congress dissidents. This is a serious threat and challenge to Democracy which must be remedied. And for that purpose Land Reform measures should be implemented in such a way that the maximum benefit may reach the farmers.

We would also have to make it clear that what place socialism will have in our Democratic system and what will be the shape of our economy. So far no clear picture has been given about that. If we do not adopt and pursue clear cut policies Kerala episode will be repeated elsewhere also.

श्री कोया (कोजिकोड़) : जो स्थिति केरल में उत्पन्न हो गयी थी उन में सिवाय राष्ट्रपति के शासन के लागू करने के अन्य कोई उपाय नहीं था। मेरे पूर्व वक्ताओं ने केरल की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उसे एक समस्या-प्रधान राज्य बताया परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है। वास्तव में केरल समस्याओं को सुलझाने वाला राज्य है। उदाहरणार्थ, वहां हिन्दू, सिक्ख, और ईसाई कभी आपस में नहीं लड़े।

केरल में जो समस्या उत्पन्न हुई है वह स्वयं कांग्रेस हाई कमान की कार्यवाहियों के कारण उत्पन्न हुई है। उस में हमारा कोई हाथ नहीं है। हम ने तो उस पर भी कोई आपत्ति नहीं की थी जब हमें राज्य के मंत्रि मंडल में स्थान नहीं दिया गया। हम ने उन्हें बताया कि आप शासन चलाओ। उन्हों ने हमें अध्यक्ष पद का प्रस्ताव किया और हमें संयुक्त संसदीय दल में रखा। इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्हों ने हम से मिल कर काम चलाना आरम्भ किया। उस के बाद अध्यक्ष की मृत्यु हुई। एक बार फिर हमें बलिदान देने के लिये कहा गया। हम से कहा गया कि मुस्लिम लीग से सम्बन्ध तोड़ लो। जो मैं ने एकता की दृष्टि से तोड़े। यह कहना गलत है कि संसदीय चुनाव न जीत सकने के कारण हम ने अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं किया। सच्चाई यह है कि उन लोगों ने हमें धोखा दिया और कुट्टीपुरम के उप चुनावों में हमारा साथ देने से इन्कार कर दिया। इसी कारण हमें उन से अलग होना पड़ा। प्रजा समाजवादी दल के श्री पट्टम थानू पिल्ले को राज्यपाल नियुक्त करना इस बात को सिद्ध करता है कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस के अतिरिक्त श्री पी० टी० चाको, जो स्वतन्त्रता आन्दोलना के महान नेता थे, के बारे में मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें उन पर विश्वास नहीं है इसलिये श्री चाको को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जा सकता।

[श्री कोया]

केरल में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस का उत्तरदायित्व विपक्षियों पर डाला गया है परन्तु वास्तव में इस स्थिति के लिये स्वयं कांग्रेस जिम्मेदार है। विपक्षियों ने कांग्रेस हाई कमान को एक ज्ञापन पत्र दिया जिस की उपेक्षा की गयी। अब हम ने कांग्रेस सरकार को सहयोग देना बन्द कर दिया तो उसे शासन से अलगही जाना चाहिये था चूंकि तब नैतिक दृष्टि से शासन सम्भाले रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। परन्तु उन्हों ने ऐसा नहीं किया।

अब कांग्रेस संस्था की दशा यह है कि आचार्य कृपलानी और रंगा जैसे लोग इस संस्था से अलग हो रहे हैं और बड़े बड़े महाराजा और जमींदार इस में शामिल हो रहे हैं। इसीलिये केरल की वर्तमान स्थिति के लिये स्वयं कांग्रेसहाई कमान जिम्मेदार है।

हम ने कांग्रेस के साथ मिल कर केरल में सरकार बनायी थी परन्तु कांग्रेस के लोगों ने हमारे साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया जिस कारण हमें उन का साथ छोड़ना पड़ा। इस के अतिरिक्त वहां की जनता भी भ्रष्ट प्रशासन से तंग आ चुकी थी। यदि कांग्रेसियों की बस की बात होती तो वह सभी विपक्षियों को बड़े बड़े ओहदे दे कर साथ मिलाने का प्रयत्न करते।

केरल की जनता वर्तमान संकट के लिये दोषी नहीं है। जनता ने तो स्थायी सरकार बनाने के लिये बहुमत दिया था। परन्तु स्वयं सत्ताधारी दल में जो साम्प्रदायिकता पाई जाती है जो गुटबन्दी पाई जाती है वही उस का कारण है।

केरल में अनाज की कमी है। गोदामों में अनाज कम है। उचित मूल्य वाली दुकानों पर भी वह उपलब्ध नहीं है। अनाज के भाव भी बढ़ गये हैं। माननीय खाद्य मंत्री को इस स्थिति का समाधान करना चाहिये चूंकि अब वहां पर विधान सभा नहीं है। इस के अतिरिक्त योजना के बारे में जो चर्चा हो उस में केरल से आये संसदीय सदस्यों को भाग लेने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : केरल में जो कुछ हुआ उस से प्रत्येक से व्यक्ति को जो लोकतन्त्र में आस्था रखता है कष्ट होगा। इस समय केरल मंत्रिमंडल के गुणों अथवा अवगुणों की व्याख्या करने का नहीं बल्कि अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी नियमों एवं प्रथाओं में परिवर्तन लाने का है। संविधान में कहा गया है कि मंत्रि परिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। परन्तु यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों में सरकार बनाने की क्षमता भी होनी चाहिये। यदि केवल मंत्रि परिषद् की आलोचना करने का उद्देश्य हो तो उस के लिये अन्य उपाय हैं परन्तु यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो विपक्षियों में सरकार बनाने की क्षमता अनिवार्यतः होनी चाहिये अन्यथा लोकतन्त्र के अनुसार कार्य करना कठिन हो जायगा जैसा कि केरल में हुआ।

मैं इस प्रस्ताव के विरुद्ध कुछ नहीं कहता। मैं समझता हूं कि यह एक मूल नीति का प्रश्न है। इस प्रकार केरल में सरकार को खत्म करना और राष्ट्रपति का शासन लागू करना सर्वथा अनुचित है चूंकि ऐसा करने से लोकतन्त्रात्मक प्रथाओं और आधिकारों का ठीक तौर पर विकास इस देश में नहीं हो सकेगा।

केरल में विरोधी पक्षों ने अविश्वास प्रस्ताव ला कर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। परन्तु ऐसी स्थिति का समाधान यही होना चाहिये कि जब तक कोई अन्य पक्ष सरकार बनाने योग्य न हो तब तक कांग्रेस दल द्वारा ही सरकार चलने दी जाती। यदि हम इस प्रकार की प्रथायें नहीं बनायेंगे तो देश का हित नहीं होगा।

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का शासन तभी लागू किया जाना चाहिये यदि वहां अन्य प्रकार से प्रशासन कार्य न चलाया जा सके। इसलिये केरल में कांग्रेस दल को ही सरकार चलाने दिया जाना चाहिये था।

श्री रंगा ने कहा कि केरल एक समस्या प्रधान राज्य है। परन्तु केरल की समस्या राजनीतिक समस्या नहीं है। वहां की समस्या आर्थिक है जिस के परिणामस्वरूप वहां साम्प्रदायिकता पनपी है। वहां की जनसंख्या काफी अधिक है और लोग प्राय: शिक्षित हैं परन्तु इस के साथ साथ बेरोजगारी भी है। लोग साम्प्रदायिक आधार पर इसी कारण संगठित हो रहे हैं चूंकि वह कारोबार करना चाहते हैं। केरल में स्थायी सरकार केवल वही दल बना सकता है जो वहां स्थायी तौर पर सरकार के चलाने की गारंटी दे और जो लोगों को रोजगार दे, उन की गरीबी को दूर करे।

केरल में यह विचार सर्वथा पाया जाता है कि केन्द्र केरल राज्य के साथ भेतभाव का व्यवहार करता है। केन्द्र राज्य में विकास बहुत कम हुआ है। कांग्रेस दल के चुनावों के समय यह आश्वासन दिया था कि केन्द्र से इस राज्य के प्रति न्याय करने की मांग की जायेगी। परन्तु वह उस उद्देश्य में सफल नहीं हुए। कांग्रेस सरकार केन्द्र से न्याय प्राप्त करने में असफल रही, प्रशाशन कार्य में असफल नहीं हुई। केरल में तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में उद्योग स्थापित करने के लिये 700 करोड़ रुपये नियत किये गये थे जबकि वहां केवल 75 लाख रुपया ही विनियोजित किया गया है।

श्री नाथ पाई ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस दल साम्प्रदायिक दलों से मिलने का प्रयत्न कर रहा है परन्तु उस बारे में सर्व प्रथम श्रेय संयुक्त समाजवादी दल को प्राप्त है।

प्रजा समाजवादी दल की विभिन्न समयों पर विभिन्न दलों के साथ निर्वाचन संबंती समझौते किये हैं। जब तक दलों के अन्दर साम्प्रदायिक समझौते की आवश्यकता अनुभव होती रहेगी, साम्प्रदायिकता को कहीं भी समाप्त नहीं किया जा सकता। केरल के मुसलमान समझते हैं कि उन को उचित बर्ताव नहीं मिलता और हिन्दू समझते हैं कि संगठित हुए बिना उन को उचित स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। केरल की जनता शिक्षित होने के कारण अपने अधिकारों को मांगना जानती है। अन्यत्र भी यही स्थिति आ जायेगी । वही दल केरल में स्थायी सरकार बना सकता है जो राज्य से पिछड़ेपन को समाप्त कर के उस का विकास करने की प्रतिज्ञा करेगा।

सभी लोग मानते हैं कि केरल की उन्नति औद्योगिक विकास से भी संभव है, परन्तु वहां बिजली का अभाव होने के कारण सभी उद्योग बन्द पड़े हैं। मद्रास में बिजली मंहगी तैयार होती है तथा केरल को मद्रास पर निर्भर रहना पड़ता है।

अब केरल में तीसरी बार राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है । केरल के लोग भी देश के अन्य लोगों के समान हैं। अब इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि केरल में स्थायी सरकर क्यों नहीं कायम रह सकती। मेरे मतानुसार कोई भी दल या वर्ग इसके लिये उत्तरदायी नहीं है। वहां की आर्थिक स्थिति ही इस का प्रमुख कारण है क्योंकि कोई भी दल लोगों के हितों का संवर्धन करने में सफल नहीं हुआ। केन्द्रीय सरकार को राज्य में लोगों द्वारा प्रसन्नता अनुभव करने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। चाहे केरल में राष्ट्रपति का शासन हो या किसी भी दल का, परन्तु स्थिति ऐसी है कि वहां की जनता दुखी रहती है। यही केरल की प्रमुख समस्या है।

श्री इम्बीचीबावा (पोन्नानी) : केरल में पहले भी राष्ट्रपति का शासन सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये लागू किया गया है क्योंकि उस को प्रजातन्त्र की तनिक भी परवाह नहीं है। वहां की जनता का कोई भी दोष नहीं है। मंत्रिमंडल के निर्माण से भी सिद्ध हो जाता है कि सत्तारूढ़ दल सत्ता का एकाधिकार बना रहना चाहता है।

1948 के निर्वाचनों में कांग्रेस बहुमत से सत्तारूढ़ हुई, परन्तु दलगत फूट के कारण कई बार मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। एक दूसरे के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप भी लगाए गये।

प्रथम निर्वाचन में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी, परन्तु निर्दलीय सदस्यों को मिला कर बनाई गई सरकार अधिक देर तक न चल सकी। फलतः विधान मंडल तोड़ दिया गया। पुनः जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार किया। अतः श्री एस० जी० के साथ मिल कर कांग्रेस को श्री थानु पिल्ले के नेतृत्व में सरकार बनाई, जो अधिक देर तक कायम नहीं रही। तामिलनाड कांग्रेस पार्टी की सहायता से बनाई गई सरकार भी टूट गई।

जनता ने साम्यवादी दल की ओर रुझान दिखाया और साम्यवादी दल ने अपनी सबल सरकार बनाई। परन्तु केन्द्र ने उसको तोड़ डाला, जो प्रजातन्त्र की दिन दहाड़े हत्या से कम नहीं था। मध्य कालीन निर्वाचनों में साम्यवादी दल को पहले से अधिक मत प्राप्त हुए।

पत्तम की सरकार असफल रहने पर श्री शंकर की सरकार बनी, परन्तु भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों के कारण वह भी तोड़ दी गई और राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया। इस से पता चलता है कि कांग्रेस दल के कृत्य निन्दनीय रहे हैं।

केरल की शिक्षित जनता गृहमंत्री के इस तर्क पर हंसेगी कि कांग्रेस स्थायित्व का आकार स्तम्भ है। कोई भी ईमानदार सरकार अपनी असफलता को स्वीकार करती है। परन्तु कांग्रेस फिर भी सत्ता को हथियाने में संलग्न है। दुःख तो यह है कि केन्द्रीय सरकार सदा केरल के भ्रष्ट कांग्रेसियों को बचाती रही है, परन्तु अब उसे स्वयं शासन सम्भालना पड़ा है, अतः स्थिति भिन्न हो गई है।

राज्य सभा के लिए निर्वाचन होने से पूर्व ही, अपनी पराजय को बचाने के लिये वहां की सरकार तोड़ दी गई है। यह भी प्रजातन्त्र का नाश करना है।

केन्द्र ने कभी भी केरल के कांग्रेसी नेताओं के बारे में नहीं सोचा, वहां की कांग्रेस नायर तथा गिरजा के हाथों में कठपुतली बन कर साम्प्रदायिक दल बन कर रह गई है। कांग्रेस की वर्तमान फूट का आधार भी साम्प्रदायिक है, इसमें कभी एकता नहीं आ सकती। श्री पाटिल का सद्भावना मण्डल भी असफल रहा और इस फूट को दूर नहीं करा सका। श्री शंकर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच का आश्वासन देकर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस ने जिस भी दल के साथ समझौता किया, उसी की पीठ में छुरा घोंपा और अब परस्पर एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने का प्रयत्न हो रहा है।

साम्यवादी दल ने सत्तारूढ़ होकर जनता के हितों को बढ़ाने वाली नीतियां अपनाईं, भूमि सुधार किए और शिक्षा विधेयक को क्रियान्वित किया। ऐसी प्रजातन्त्रीय सरकार को कांग्रेस ने नष्ट किया। तब कांग्रेस कैसे वहां स्थायी सरकार बना सकती है।

केरल का संकट तब तक बना रहेगा जब तक वहां सबल विरोधी दल कायम रहेगा। परन्तु कांग्रेस वहां सबल विरोधी दल को बर्दाश्त नहीं करती। अतः समस्या और गम्भीर हो जाती है। हम वहां प्रजातन्त्रीय अधिकारों के लिए हमेशा संघर्षशील रहेंगे।

राष्ट्रपति के शासन काल में जनता के हितों की ओर अधिक ध्यान दिया जाए। कालीकट में चावल नहीं मिलता। चोर बाजारी जोरों पर है, दाम बहुत बढ़ गए हैं और सरकारी अधिकारी बेबसी प्रदर्शित करते हैं। अतः सरकार लोगों के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करे। केरल की लम्बी हड़तालों को शंकर मंत्रिमंडल रोक नहीं सका। अब सरकार लोगों की मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करे यही निवेदन है।

श्री नटराज पिल्लै : केरल राज्य की जनता को अनेक कष्टों और कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि वहां पर साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद की भावनाएं बड़ी उग्र रूपका धारण किए हुए हैं। यही भावना और वातावरण सब दोषों की जड़ है और अव्यवस्था के लियें उत्तरदायी है। जब तक वहां पर विद्यमान आज की स्थिति कायम रहेगी और सामाजिक स्थिति में वांछित परिवर्तन नहीं होता, वहां कोई भी सरकार का प्रशासन स्थायी रूप में नहीं जम सकता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वहां के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाने की ओर प्रयत्नशील होना चाहिए।

केरल की औद्योगिक एवं आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, अतः उसकी ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उस राज्य में औद्योगिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। तभी वहां स्थायी रूप से कोई सरकार चल सकती है। सरकार को चाहिए कि केरल के लिये एक व्यापक औद्योगिक एवं आर्थिक उन्नति के कार्यक्रम को कार्यान्वित करे। तभी वहां की जनता को राहत मिल सकती है।

उस राज्य में खाद्यान्नों की हमेशा से कमी रही है। लोगों को खाने को अनाज नहीं मिलता और यदि अनाज मिलता भी है तो इतना महंगा कि लोग उसे खरीदने में असमर्थ होते हैं। केन्द्रीय सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। योजना भी यथार्थता के आधार पर बनाई जाए और लोगों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जाए।

श्री हनुमन्तैया : इस विषय में कोई मतभेद नहीं है कि केरल की मुख्य समस्या का कारण वहां की साम्प्रदायिकता है। हालांकि हमने जातीय एकता लाने का अनथक प्रयत्न किया है, परन्तु खेद है कि हम अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो सके, क्योंकि वहां साम्प्रदायिक एवं जातीय भावना बहुत हद तक बढ़ी हुई है। अतः हमें इस समूची समस्या पर नवीन ढंग से सोचना होगा। हम ऐसे ढंग का प्रशासन तन्त्र बनायें ताकि वहां का विद्यमान साम्प्रदायिक एवं जातीगत ढांचा समाप्त हो और यथार्थ समेकित प्रजातंत्रीय प्रणाली कायम की जा सके। जब तक केरल में साम्प्रदायिक एवं जातीय पद्धति बनी रहेगी, वहां कोई भी सरकारी स्थायी रूप से काम नहीं कर सकती। केवल प्रजातन्त्रीय प्रणाली ही जनता के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

केरल जैसी स्थिति प्रायः सभी राज्यों में है, यही चाहे थोड़ी, चाहे ज्यादा। इसकी चिन्ता केवल कांग्रेस को ही नहीं है अपितु सारे देश को इस की चिन्ता है। वहां यह हालत है कि सभी दल, सभी राजनीतिक वर्ग शक्ति को हथियाने के लिये साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों का अनुचित लाभ

[श्री हनुमन्तैया]

उठाते हैं। यही बड़ी खेदजनक स्थिति है और केरल के लिए एक शाश्वत खतरा है। अतः मेरा सुझाव यह है कि हमारे संविधान में संशोधन किया जाये जिसके द्वारा जातिवाद और साम्प्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का खतरा दूर हो सके। ऐसा संशोधन करना अत्यावश्यक है।

केरल में जो प्रशासन लागू किया जाए उसके अन्तर्गत राज्य की जनता को किसी न किसी प्रकार खुद शासन भार चलाने दिया जाए। यह उचित नहीं होगा कि आई० सी० एस० अधिकारियों को सरकार का सलाहकार बनाया जाये। जब जनता के प्रतिनिधि उपलब्ध हैं, तो उन को सरकार का सलाहकार बनाया जाए। आवश्यकता हो तो संसद् सदस्यों को सलाहकार बनाया जा सकता है। जब तक केरल में आम चुनाव नहीं होता और जनता के प्रतिनिधि नहीं चुने जाते तब तक के लिये संसद् सदस्यों की एक तालिका बना ली जाये जो सरकार को प्रशासन कार्य में सलाह दे। संसद् जब तक आवश्यक समझे केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू रखा जाए। इसके लिए संविधान में भी संशोधन करने चाहियें। आई० सी० एस० अफसरों पर जोकि प्रशासन सेवा के सदस्य होते हैं, सरकार को सलाह देने के लिये नियुक्त नहीं करना चाहिये। इस कार्य को तो जनता के प्रतिनिधियों को सौंपना ही वांछनीय है। आशा है सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad). It is very painful task which has been entrusted to this house in regard to Kerala State. While discussing this matter, we shall have to consider the whole matter very seriously in the light of various detailed aspects connected with the principles of democracy and democratic principles.

One of the most important requirement of democracy is that whatever is spoken by the opposition and what ever suggestions and arguments are presented by them, they should be heard with full patience and calmness, and they are given effect to as far as possible. Unless this is done there is no democracy at all. We should therefore with a view to safeguard democracy give all possible opportunities to opposition to express themselves fully and their genuine demands should be accepted.

There is talk of corruption and ways of ending it everywhere. But it is seen that corruption is rampant in the work and corner of the country, in every walk of life. This disease is so much infested that is killing out national as well as political life. Itseffects are still worse. No serious efforts are made to check it. It is our fore most duty to see that the situation which has crepit in Kerala does not spread in other parts of the country. We must therefore be vigilant and make all sincere efforts to put an end to it.

Shri Khadilkar has given a suggestion with regard to structure. But it is more a question of life, and not of structure. Unless there is sufficient power in the hands of opposition his suggestion would yield no fruitful result We should look to the principles of democracy and so long as the spirit behind democracy is implemented in its real sense, there will be no use of the structure proposed.

we should therefore proceed in that direction, so that democracy is established in the country and corruption eliminated from our political and national life.

I would also like to say that we are today copying English pattern. Had we copied French or German pattern and had members been elected to this house or the proportion of representative votes, there would have been only 240 members in Congress and 260 members on this side. Then it would have been possible to find a way out through consultations.

Similarly, we should consider over other forms of debate in order to defend democracy. I feel that Ministers do not carefully attend to the speeches and do not give proper reply. Similarly, in regard to statistics, the hon. Prime Minister quotls the figures of average for 48 crores but the average for 30 crores of the lower strata is not stated. It happens so because cabinet is ignored of the spirit democracy on which its entire structure is based. I would appeal to you on behalf of Kerala and the country that democracy does not stand on outward farm and structure, it is rather sustained by spirit. There is no meaning in making any suggestion in regard to changes in that structure unless the spirit is properly maintained, while thinking over Kerala I would therefore again say that what we are doing and what we are going to do today is not good, for it is a question of failure of responsible Government.

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : माननीय सदस्यों ने अनेक विषयों का यहां उल्लेख किया है लेकिन मैं सभी बातों का उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि कई बातों का उत्तर दूसरी ओर के सदस्यों ने पहले ही दे दिया है । सरकार को यह संकल्प-प्रस्तुत करने में कोई खुशी नहीं है । हम चाहते हैं कि केरल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चले । किसी ने यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति को शासन की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिये थी लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि वह किस प्रकार संभव होता ? संवैधानिक उपबन्ध के अनुसार शासक दल का बहुमत होना चाहिये। यह संकल्प प्रस्तुत करने में सरकार को जरा भी खुशी नहीं है लेकिन फिर भी यह करना पड़ा। इसलिए यह पूरी तरह अस्थायी उपाय है । हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही परिस्थिति सामान्य हो जायेगी और तब हम चुनाव करवायेंगे ।

श्री वारियर ने कांग्रेस मंत्रालय की कमियां और कम्यूनिस्ट मंत्रालय के कार्य बताये मैं केरल की वर्तमान परिस्थितियों के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता लेकिन यह बिलकुल स्पष्ट है कि पिछले चार पांच वर्षों में वहां किसी न किसी कारण से बराबर ही आन्दोलन चलते रहे। इस प्रकार के आन्दोलनों से देश की प्रगति और विकास को अवश्य ही धक्का पहुंचता है । सक्रिय दृष्टिकोण यह है कि हम सभी को देश के विकास के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये। लोकतंत्र में कोई भी योजना जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती ; लेकिन जहां तक संवैधानिक स्थिति का सम्बन्ध है, हम उससे बाध्य हैं। हम संविधान से अलग कोई काम नहीं कर सकते। हम सभी स्तरों पर लोगों का सहयोग चाहते हैं। संविधान के अन्तर्गत रहते हुए जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है किया जायेगा।

लेकिन कठिनाई तब पैदा होती है जब विचारधाराओं की बात सामने आती है । जब विचाारधाराएं भिन्न होती हैं तब दलों को या समुदायों को परस्पर सहमत होना कठिन

हो जाता है । मैं श्री लोहिया के इस कथन से पूर्ण सहमत हूं कि हमें ईर्ष्या और अविश्वास का वातावरण नहीं उत्पन्न करना चाहिये बल्कि सद्भाव की भावना उत्पन्न करनी चाहिये। लेकिन 1960 के बाद केरल की स्थिति यह रही कि पिछले $4\frac{1}{2}$ वर्षों में किसी न किसी बहाने वहां सात या आठ आन्दोलन हुए। कल्पना यह भी कि जनता का ध्यान दूसरी ओर खींच कर उस पर अपना काबू जमाया जाये। लेकिन जहां तक हमारा सम्बध है हम ऐसा कोई प्रयोग नहीं कर सकते जो संविधान से समर्पित नहीं है। अतः केरल को बिलकुल अलग कर के वहां ऐसा कोई प्रयोग करना संभव नहीं है जो संविधान के उपबन्धों से परे हो।

श्री रंगा ने बताया कि हम स्विस प्रणाली के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हम एक विशिष्ट राज्य में विभिन्न प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। श्री रंगा को योजना की पद्धति और प्रणाली पर आपत्ति है लेकिन केरल के साथ उसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ।

एक वक्ता ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने केरल के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है । उनकी शिकायत थी कि बिजली के लिए केरल मद्रास पर क्यों निर्भर रहे। हमें यह विचारधारा भी छोड़ देनी चाहिये। वहां भी बिजली के लिए पर्याप्त क्षमता है और वह परियोजना पूरी हो रही है। मेरे विचार से उनकी यह शिकायत भी उचित नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है । खाद्य और बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या केवल केरल के बारे में ही नहीं, वह विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार से विद्यमान है ।

मैं दूसरी ओर के माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि अन्य राज्यों की तरह केरल पर भी उस की आवश्यकतानुसार समान रूप से ध्यान दिया जायेगा। इन सभी बातों की जांच कर के पूरा पूरा ध्यान दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 10 सितम्बर, 1964 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल राज्य के बारे में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक
KERALA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

श्री हाथो : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केरल राज्य विधानमंडल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक 10 सितम्बर, 1964 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुगामी है जिसेसदन ने अभी ही संविधान के अनच्छेद 356 के अधीन स्वीकृत किया है। संविधान के अनुच्छेद

357(1) में यह उपबन्ध है कि राष्ट्रपति विधान मंडल के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन इस के लिए संसद् को कानून द्वारा राष्ट्रपति को वे अधिकार देने होते हैं। इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

इस विधेयक में केवल तीन खंड हैं और सब से महत्वपूर्ण खंड 3 है जिस में चार उपखंड हैं। इस खंड के द्वारा राष्ट्रपति को केरल के लिये विधियां बनाने का अधिकार दिया गया है । दूसरे खंड के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उस राज्य के सभी प्रतिनिधियों की एक समिति बनायी जायेगी जिस से राष्ट्रपति उस की राय ले सके। प्रस्तावक महोदय चाहते हैं कि कुछ और संसद् सदस्यों को इस में शामिल किया जाय। मैं समझता हूं कि विभिन्न अवसरों पर ऐसा किया गया है और शायद हम उस आशय के संशोधन पर विचार करें ।

उपखंड 4 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा पारित कोई विधि संसद् के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यदि संसद् का कोई सदन अधिनियम को टेबल पर रखे जाने से सात दिन के अन्दर कोई परिवर्तन करता है और दूसरा सदन उस से सहमत है तो उस अधिनियम में वह परिवर्तन किया जायेगा। इसलिये वह निरंकुश शक्ति नहीं है क्योंकि संसद् को उस में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिये यह एक सामान्य सूत्र है जिसे इस प्रकार के विधानों में स्वीकृत किया गया है। इसलिये इस विधेयक में कोई नई चीज नहीं है। 1955 में जब उड़ीसा और पेप्सू राष्ट्रपति के शासन के अधीन लाये गये थे तब भी ऐसा किया गया था। मैं इस विधेयक की सिफारिश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रंगा (चित्तूर) : राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने के बाद यह अनिवार्य है कि इस तरह का विधेयक प्रस्तुत किया जाये। लेकिन सारी बात इस पर निर्भर है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। वास्तविक व्यवहार में राष्ट्रपति का अर्थ यहां का गृह-मंत्रालय, वहां का राज्य पाल और असैनिक पदाधिकारी है। जब तक कि वहां के सरकारी पदाधिकारी निष्पक्ष रूपसे काम नहीं करते तब तक हमें यह विश्वास नहीं हो सकता कि भूतपूर्व शासक दल के लाभ की दृष्टि से ही सारी बातें नहीं की जायेंगी जहां तक संभव हो जिला स्तर पर और सचिवालय स्तर के वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी अन्य स्थानों से लाये जायें। उचित, निष्पक्ष और निर्दोष निर्वाचनों के लिये ऐसा करना नितान्त आवश्यक है । मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन यह सर्वविदित है कि केरल और उड़ीसा में इसी प्रकार की परिस्थितियों में वहांके स्थानीय प्रशासन ने और राज्यपाल ने भी शासक दल के पक्ष में सारे काम किये । श्री हाथी की बातों से मालूम होता है कि शासक दल ने पुनः सत्तारूढ़ होने का निश्चय कर लिया है और इसलिये इस बात की आशंका है कि राष्ट्रपति के शासन का शासक दल के हित के लिए दुरुपयोग किया जायगा। इसलिये मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो वह एक नया राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाये या निष्पक्ष प्रशासन के लिये अपनी शक्ति के अधीन प्रत्येक संभव कदम उठाये। इस के लिये उसे स्थानीय प्रशासन को स्थानीय पदाधिकारियों के दबाव से मुक्त करना होगा और दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों की सहायता लेनी होगी। सरकार इस बात की ओर ध्यान दे कि गोंडा चुनाव में जो कुछ हुआ या श्री प्रतापसिंह के चुनाव में जो बातें हुई उन को फिर न दोहराया जाये ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 24 सितम्बर 1964/2 आश्विन 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 24th September, 1964/Asvina 2, 1886 (Saka)]

GMGIPND--LS III—1353 (Ai) LS—18-11-64--600